



PROJECT FOR IMPROVEMENT OF HIMACHAL PRADESH FOREST ECOSYSTEMS MANAGEMENT AND LIVELIHOODS



**BMC SUB-COMMITTEE - LARI
MICRO PLAN**

अंतर्वस्तु

परियोजना क्षेत्र का सामान्य विवरण:	6
परियोजना क्षेत्र का स्थान	7
लारी का सीमा मानचित्र	7
लारी का स्थान मानचित्र	8
संक्षिप्त रूप और परिवर्णी शब्द	8
1 परिचय	9
1.1 परियोजना संक्षिप्त.....	9
1.2 परियोजना के उद्देश्य.....	9
1.3 परियोजना लक्ष्य.....	10
1.4 परियोजना दृष्टिकोण और रणनीतियाँ.....	10
1.5 संचालन का तरीका.....	11
1.6 उप-समिति स्तरीय सूक्ष्म योजना की आवश्यकता.....	12
2. बुनियादी जानकारी	13
2.1 माइक्रो प्लान पर बुनियादी सूचना पत्रक.....	13
2.2 चयनित बीएमसी उप-समिति की सामान्य प्रोफाइल.....	14
2.3 बीएमसी उप-समिति लारी के ईसी सदस्यों का विवरण.....	14
2.4 सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया.....	15
3. लारी की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा	17
3.1 बीएमसी उप समिति का सामान्य विवरण.....	17
3.1.1 चयनित क्षेत्र का इतिहास.....	17
3.1.2 बीएमसी उप-समिति क्षेत्र का स्थान.....	17
3.1.3 सीमाएँ.....	17
3.1.4 से दूरी.....	17
3.1.5 बीएमसी उप-समिति की महत्वपूर्ण विशेषताएँ.....	18
3.2 सामाजिक संरचना.....	18
3.3 जनसंख्या.....	19
3.4 शैक्षणिक स्थिति	20
3.4.1 शैक्षिक स्थिति.....	20
3.5 आर्थिक श्रेणियाँ	20
3.5.1 पीआरए अभ्यास के अनुसार धन रैंकिंग.....	20
3.5.2 गरीबी रेखा से ऊपर और नीचे (सरकारी मानदंडों के अनुसार).....	20
3.6 बुनियादी सुविधाओं/सेवाओं तक पहुंच.....	21
4. संसाधन विश्लेषण	22
4.1 भूमि संसाधन.....	22
4.1.1 भूमि उपयोग पैटर्न.....	22

4.1.2 भूमि स्वामित्व पैटर्न.....	22
4.2 वन संसाधन.....	22
4.2.1 वन क्षेत्र.....	22
4.2.1.1 साइट चयन और स्थान.....	22
4.2.1.2 समुदाय आधारित जैव विविधता प्रबंधन योजना के लिए वन्यजीव वन प्रभाग से डेटा.....	22
4.2.1.3 वन का विवरण (अभ्यारण्य क्षेत्र).....	22
4.2.1.4 हस्तक्षेप क्षेत्रों का चयन, योजना और उपचार:.....	25
4.2.1.5 चराई, आग और अन्य जोखिमों पर डेटा और मानचित्र.....	26
4.2.1.6 मानव वन्यजीव संघर्ष.....	26
4.2.1.7 हस्तक्षेप क्षेत्रों/उपचार भूखंडों पर डेटा और मानचित्र.....	27
4.3 वनों पर सामुदायिक निर्भरता की प्रवृत्ति (पीआरए अभ्यास के अनुसार).....	27
4.4 वन पर निर्भर परिवार (पीआरए अभ्यास के अनुसार).....	29
4.5 चयनित क्षेत्र के वन संसाधन (पीआरए अभ्यास के अनुसार).....	29
4.6 जैव विविधता (बीएमसी उपयोग).....	30
4.7 एनटीएफपी संग्रह (पीआरए अभ्यास के अनुसार).....	32
4.8 ईंधन संग्रहण/खपत.....	33
4.9 ईंधन/ईंधन लकड़ी की कमी.....	33
4.10 चारा संग्रहण/खपत.....	34
4.11 चारे की कमी.....	35
4.12 इमारती लकड़ी.....	35
4.12.1 इमारती लकड़ी की कमी.....	35
4.13 वन प्रबंधन प्रथाएँ.....	36
4.14 वन संरक्षण प्रथाएँ.....	37
4.15 जल संसाधन.....	38
4.16 कृषि संसाधन.....	39
4.16.1 खेती योग्य भूमि उपयोग पैटर्न.....	39
4.16.2 भूमि धारण पैटर्न.....	39
4.16.3 फसल पैटर्न.....	40
4.16.4 खेती योग्य भूमि की चुनौतियाँ.....	41
4.16.5 पशुधन संसाधन.....	41
4.16.5.1 पशुधन धारण पैटर्न.....	41
4.16.5.2 मुख्य पशुधन का उत्पादन.....	42
5. आजीविका रणनीतियाँ.....	42
5.1 मौजूदा आजीविका रणनीतियाँ.....	42
5.2 आजीविका- गतिविधि कैलेंडर.....	43

5.3 भोजन की कमी.....	44
5.4 आय की कमी.....	44
6. संस्थागत विश्लेषण.....	45
7.1 मौजूदा समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ).....	45
6.2 बाहरी संबंधों के लिए प्राथमिकताएँ.....	46
6.3 मौजूदा एसएचजी की प्रोफाइल.....	46
7. समस्या विश्लेषण एवं समाधान.....	47
7.1 विश्लेषणित समस्याएँ और वैज्ञानिक समाधान.....	47
7.2 अनुमानित समस्याएँ और समाधान.....	48
7.3 कार्यान्वयन गतिविधियाँ/हस्तक्षेप.....	49
7.4 एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण.....	51
7.5 परियोजना अवधि के लिए विकास के उद्देश्य निर्धारित करना.....	52
8. वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन योजना.....	53
8.1 सामान्य विवरण.....	53
8.1.1 समझौता ज्ञापन.....	54
8.1.2 सूक्ष्म योजना के कार्यान्वयन के लिए लाभार्थी बीएमसी उपसमिति को परियोजना सहायता.....	54
8.2 वृक्षारोपण हेतु गतिविधियाँ.....	55
8.3 रोपण सामग्री की आवश्यकताएँ.....	56
8.4 वन संरक्षण/वन संवर्धन/वृक्षारोपण के लिए रखरखाव कार्य.....	57
8.5 पीएफएम मोड के तहत वृक्षारोपण गतिविधि.....	57
8.6 मृदा एवं जल संरक्षण.....	58
8.6.1 मृदा एवं जल संरक्षण कार्य (प्रस्तावित).....	58
8.6.2 मृदा एवं जल संरक्षण कार्य (वर्षवार भौतिक लक्ष्य).....	59
8.7 भौतिक एवं वित्तीय योजना (एफईएमपी).....	60
8.7.1 प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय योजना.....	60
8.7.2 2023-2024 के लिए वार्षिक कार्य योजना.....	61
9. इस परियोजना के अंतर्गत सातोयामा का संक्षिप्त दृष्टिकोण.....	62
समस्या विश्लेषण एवं समाधान.....	66
समस्याओं और वैज्ञानिक समाधानों का विश्लेषण किया.....	66
अनुमानित समस्याएँ और समाधान.....	67
सातोयामा गतिविधियाँ.....	68
9.1 सातोयम गतिविधियाँ.....	68
9.1.1 सातोयामा गतिविधियों का भौतिक और वित्तीय विवरण.....	69
9.2 आजीविका सुधार/आय सृजन गतिविधियाँ (आईजीए).....	70
9.3 आजीविका सुधार और आय सृजन गतिविधियों का प्रस्तावित भौतिक और वित्तीय कवरेज.....	71

9.4 एसएचजी का गठन.....	72
9.5 2023-24 के लिए वार्षिक कार्य योजना: सामुदायिक विकास और आजीविका सुधार (सीडी एंड एलआईपी)	72
10. लारी बीएमसी में पहचानी गई गतिविधियाँ	73
10.1 गतिविधियां चिन्हित एवं कार्यान्वयन एजेंसियां.....	73
10.2 पहचानी गई गतिविधियों का प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय कवरेज.....	74
11. कार्यान्वयन रणनीतियाँ	75
11.1 घटकों और उप-घटकों पर कार्यान्वयन दिशानिर्देश.....	75
11.2 सामुदायिक संस्थानों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (बीएमसी उपसमिति, एसएचजी).....	75
11.3 प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण योजना का वर्षवार विवरण.....	76
11.4 सामुदायिक संस्थानों का वर्षवार प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण प्रस्तावित.....	77
11.5 सामुदायिक संस्था द्वारा बनाए रखा जाने वाला रिकॉर्ड.....	78
अनुबंध	79
अनुबंध- I.....	80
लारी बीएमसी उपसमिति का सामाजिक मानचित्र.....	80
अनुबंध- II.....	81
लारी बीएमसी उप समिति का संसाधन मानचित्र.....	81
अनुबंध- III.....	82
हवाई छवि मानचित्र: हस्तक्षेप क्षेत्र का सर्वेक्षण और मानचित्रण.....	82
अनुबंध- IV.....	83
समोच्च मानचित्र: हस्तक्षेप क्षेत्र का सर्वेक्षण और मानचित्रण.....	83
अनुबंध- V.....	84
भूमि उपयोग कवर मानचित्र: हस्तक्षेप क्षेत्र का सर्वेक्षण और मानचित्रण.....	84
अनुलग्नक VI.....	85
वन आवरण मानचित्र: हस्तक्षेप क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं मानचित्रण.....	85
अनुबंध VII.....	86
सामान्य सभा की कार्यवाही की प्रति:.....	86
अनुलग्नक VIII.....	89
पंचायत संकल्प प्रति:.....	89
अनुबंध IX.....	90
प्रमोटर सदस्यों से संयुक्त घोषणा.....	90
अनुलग्नक X.....	91
डीएमयू और अध्यक्ष बीएमसी उपसमिति के बीच समझौता ज्ञापन प्रति:.....	91
अनुलग्नक.....	97
बीएमसी उपसमिति के पंजीकरण का प्रमाण पत्र.....	97


अनुलग्नक XII.....	98
उपविधि की प्रति.....	98
अनुबंध XIII.....	107
माइक्रो प्लानिंग प्रक्रिया के दौरान की तस्वीरें.....	107
अनुबंध XIV.....	108
वित्तपोषण और मंजूरी के लिए सूक्ष्म योजना मूल्यांकन मानदंड.....	108
अनुबंध XV.....	110
बीएमसी उप समिति का कुल बजट एक नजर में.....	110

परियोजना क्षेत्र का सामान्य विवरण:


Gram Panchayat	स्थान
बीएमसी	स्थान
बीएमसी उप-समिति	भाग जाओ
वन खंड	स्थान
वन बीट	भाग जाओ
वन परिक्षेत्र	वन्यजीव रेंज, ताबो
वन प्रभाग	वन्य जीव प्रभाग, स्पीति
वन मंडल	वाइल्डलाइफ साउथ, शिमला



परियोजना क्षेत्र का स्थान लारी का सीमा मानचित्र



लारी का स्थान मानचित्र



संक्षिप्त रूप और परिवर्णी शब्द

एडीएमयू	सहायक प्रभागीय प्रबंधन इकाई
एनएनआर	सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन
बीएमसी	जैव विविधता प्रबंधन समिति
बो	ब्लॉक अधिकारी
एफईएमपी	वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन योजना
चूनाव आयोग	कार्यकारी समिति
सीडी एवं एलआईपी	साम्दायिक विकास एवं आजीविका सुधार योजना
सीआईजी	सामान्य हित समूह
डीएमयू	प्रभागीय प्रबंधन इकाई
एसएमएस	विषय वस्तु विशेषज्ञ
एफसीसी	वन वृत्त समन्वय इकाई
एफजीडी	वनरक्षक
एफटीयू	फील्ड तकनीकी इकाई
गिस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
एफडी	वन मंडल
हिमाचल प्रदेश सरकार	हिमाचल प्रदेश सरकार

जीपी	Gram Panchayat
हा	. हैक्टर
परिवारों	परिवारों
हिमाचल प्रदेश	Himachal Pradesh
एचपीएफडी	हिमाचल प्रदेश वन विभाग
आईएफएमएस	एकीकृत वन प्रबंधन प्रणाली
आयू	आय सृजन गतिविधियाँ
आईएनआर	भारतीय रुपए
जेआईसीए	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी
क्या	प्रबंधन सूचना प्रणाली
मिमी	Mahila Mandal
नहीं।	प्राकृतिक पुनर्जनन
एनटीएफपी	गैर-इमारती वन उपज
ओ एंड एम	संचालन और रखरखाव
पीएफएम	सहभागी वन प्रबंधन
PIHPM&L	हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका में सुधार के लिए परियोजना
पीएमसी	परियोजना प्रबंधन सलाहकार
पीएमयू	परियोजना प्रबंधन इकाई
के लिए	सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन
आरआरए	तीव्र ग्रामीण मूल्यांकन
आरएफओ	रेंज वन अधिकारी
स्वयं सहायता समूह	स्वयं सहायता समूह
एसडब्ल्यूसी	मृदा जल संरक्षण
जब तक	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
वीएफडीएस	ग्राम वन विकास सोसायटी
YM	Yuvak Mandal
डब्ल्यूएचएस	जल संचयन संरचना

1 परिचय

1.1 परियोजना संक्षिप्त

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका में सुधार के लिए परियोजना

1.2 परियोजना के उद्देश्य

परियोजना का उद्देश्य स्थायी वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, आजीविका सुधार सहायता और संस्थागत क्षमता को मजबूत करके परियोजना क्षेत्र में वन क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन और वृद्धि करना है, जिससे परियोजना में पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ, सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान दिया जा सके। हिमाचल प्रदेश राज्य का क्षेत्र.

1.3 परियोजना लक्ष्य

जेआईसीए मिशन और एचपीएफडी इस बात पर सहमत हुए कि गैर-विभागीय मोड के तहत परियोजना गतिविधियां ग्राम वन विकास सोसायटी (वीएफडीएस) द्वारा की जाएंगी, जिसमें सहभागी वन प्रबंधन विनियमन और जैव विविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) पर आधारित संयुक्त वन प्रबंधन समिति (जेएफएमसी) भी शामिल है। वार्ड स्तर पर जैविक विविधता अधिनियम, 2002 पर आधारित उप समिति। दोनों पक्षों ने यह भी पुष्टि की कि परियोजना गतिविधियों के लिए कोई भी फंड सीधे डिविजनल मैनेजमेंट यूनिट (डीएमयू) से वीएफडीएस/बीएमसी उप-समिति को हस्तांतरित किया जाएगा।

1.4 परियोजना दृष्टिकोण और रणनीतियाँ

परियोजना का लक्ष्य नीचे दिए गए परियोजना आउटपुट के अनुरूप चार घटकों के तहत परियोजना हस्तक्षेप द्वारा परियोजना क्षेत्र में वनों के पारिस्थितिकी तंत्र को स्थायी रूप से प्रबंधित और बढ़ाना है। प्रत्येक घटक में प्रारंभिक चरण, कार्यान्वयन और चरण-आउट चरण होते हैं।

आउटपुट 1: सतत वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन

आउटपुट 2: जैव विविधता संरक्षण

आउटपुट 3: आजीविका सुधार सहायता

आउटपुट 4: संस्थागत क्षमता सुदृढ़ीकरण

1.5 परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए परियोजना के तहत अपनाए जाने वाले बुनियादी तरीकों में शामिल हैं;

- स्थायी आजीविका के माध्यम से वन-सीमावर्ती समुदायों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाना और अपने स्वयं के पर्यावरण के प्रबंधन में ग्रामीण लोगों की सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करना।
- ग्राम वन विकास सोसायटी (वीएफडीएस) और जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी)/उपसमितियों जैसे सामुदायिक संस्थानों को मजबूत करना।
- गरीबी दूर करना
- उपयुक्त प्रजातियों के साथ रोपण के तहत उपलब्ध रूटस्टॉक की अंतर्निहित क्षमता का उपयुक्त सिल्वीकल्चर संचालन उपयोग, और खाली पैच में ब्लॉक वृक्षारोपण।
- अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण (आईएससी) को बढ़ावा देना।
- वीएफडीएस/जेएफएमसी और जैव विविधता प्रबंधन समिति/उपसमितियों (सूक्ष्म योजना) द्वारा हस्तक्षेप की योजना बनाई और कार्यान्वित की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश वन विभाग और वीएफडीएस/जेएफएमसी की क्षमता विकास।

- स्थायी रोजगार उत्पन्न करने, उद्योगों को विकसित करने और वनों के मूल्य को बढ़ाने के लिए वन-आधारित और गैर-वन-आधारित उद्यमों (जैसे औषधीय और सुगंधित पौधों का मूल्यवर्धन और विपणन, आदि) को बढ़ावा देना।
- जेआईसीए दिशानिर्देशों और लागू भारतीय कानूनों और विनियमों के अनुसार उचित सुरक्षा उपायों के माध्यम से समाज में सामाजिक रूप से वंचित समूहों, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वनवासियों, महिलाओं और अन्य कमजोर लोगों की देखभाल करना।
- वन विभाग और उसके कार्मिकों की संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण।

1.5 संचालन का तरीका

चिन्हित क्षेत्रों को सहभागी वन प्रबंधन (पीएफएम) मोड और विभागीय मोड में विभाजित किया जाएगा। यदि पहचाने गए संभावित हस्तक्षेप क्षेत्र समुदायों से दूर हैं, लेकिन परियोजना के उद्देश्य के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता है और पीएफएम संस्थान (वीएफडीएस/बीएमसी उप-समिति) इन क्षेत्रों में काम करने की अनिच्छा दिखाते हैं, तो ऐसे हस्तक्षेप विभागीय स्तर पर किए जाने चाहिए। तरीका। हालाँकि, स्थिरता के दृष्टिकोण से जहां लागू हो वहां पीएफएम मोड का चयन किया जाएगा। विभिन्न तरीकों के तहत कार्यान्वित की जाने वाली प्रमुख गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

पीएफएम (सहभागी वन प्रबंधन) मोड

- पूर्व-स्थिति मृदा एवं जल संरक्षण (एसडब्ल्यूसी) कार्य सहित ड्रेनेज लाइन उपचार
- निम्नीकृत वनों में बहुउद्देश्यीय वृक्षों के रोपण द्वारा मध्यम सघन वनों का सघनीकरण, ताकि खुले वनों को मध्यम सघन वनों में और मध्यम सघन वनों को सघन वनों में परिवर्तित किया जा सके; बड़े क्षेत्रों में अधिक प्रभावी होने के लिए अंतराल वृक्षारोपण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- वनरोपण/खुले/झाड़ीदार वनों का सुधार
- आक्रामक प्रजातियों से प्रभावित वन क्षेत्रों का पुनर्वास
- चरागाहों/घास के मैदानों में सुधार (इन-सीटू एसडब्ल्यूसी कार्य सहित)
- वन अग्नि सुरक्षा
- वन क्षेत्रों के बाहर वानिकी हस्तक्षेप

विभागीय मोड

- परियोजना हस्तक्षेप क्षेत्रों में वन सीमा प्रबंधन में सुधार
- नर्सरी का सुधार
- अंकुर उत्पादन
- गैर-पीएफएम ड्रेनेज लाइन उपचार (एक्स-सीटू एसडब्ल्यूसी कार्य: उपचार योग्य सहित)
- सतही कटाव नियंत्रण
- मौजूदा वनों के सुधार के लिए माध्यमिक सिल्वीकल्चरल संचालन
- मध्यम सघन वन का सुधार/घनत्वीकरण
- चरागाहों/घास के मैदानों में सुधार (इन-सीटू एसडब्ल्यूसी कार्य सहित)
- जंगल की आग प्रबंधन वनरोपण/खुले/झाड़ीदार वनों का सुधार

इसके अलावा, सामुदायिक विकास और आजीविका सुधार योजना (सीडी और एलआईपी) को सामान्य हित समूहों (सीआईजी), उपयोगकर्ता समूहों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और बीएमसी उपसमितियों की कार्यकारी समिति सहित पीएफएम संस्थानों द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।

1.6 उप-समिति स्तरीय सूक्ष्म योजना की आवश्यकता

बीएमसी उप-समिति स्तर पर सभी परियोजना गतिविधियाँ दीर्घकालिक (5-7 वर्ष) विकास/परिप्रेक्ष्य सूक्ष्म योजना तैयार होने के बाद शुरू की जाएंगी।

- माइक्रो प्लानिंग को एक सशक्त प्रक्रिया के रूप में माना जाएगा जो बीएमसी उप-समिति को अपने बारे में, अपने संसाधनों, मुद्दों और चुनौतियों, शक्तियों और कमजोरियों के बारे में अधिक जानने और अपने स्वयं के विकास और टिकाऊ संसाधन प्रबंधन के लिए आगे की योजना बनाने में मदद करती है।
- बीएमसी उप-समिति स्तर पर पीआईएचपीएफईएम एंड एल गतिविधियों का कार्यान्वयन संबंधित बीएमसी उप-समिति द्वारा तैयार अनुमोदित माइक्रो प्लान द्वारा निर्देशित किया जाएगा। सूक्ष्म योजना तैयार करना क्षेत्रीय गतिविधियों के कार्यान्वयन का पहला कदम होगा।
- माइक्रो प्लान एक व्यापक विकास योजना होगी जिसमें वन और आजीविका विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सूक्ष्म योजना बीएमसी उप-समिति द्वारा प्रबंधित वन और गैर-वन दोनों क्षेत्रों को कवर करेगी। सूक्ष्म योजना वर्तमान परिस्थितियों के विश्लेषण, सामाजिक मूल्यांकन और सदस्यों के साथ बातचीत के माध्यम से और वन प्रभाग की कार्य योजना के नुस्खे के संदर्भ में बीएमसी उप-समिति की जरूरतों को व्यापक योजना में एकीकृत करेगी।
- माइक्रो प्लान न केवल वानिकी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेगा और यह व्यापक होना चाहिए ताकि इसमें सभी विकास गतिविधियों को शामिल किया जा सके जो अन्य सरकारी विभागों और एजेंसियों द्वारा अभिसरण के माध्यम से शुरू की जा सकती हैं। माइक्रो प्लान की तैयारी के दौरान, बीएमसी उप-समिति अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बातचीत करेगी और माइक्रो प्लान की तैयारी के बाद, इसे बीएमसी उप-समिति में अपनी गतिविधियों को संतुलित करने के लिए अन्य सरकारी विभागों और एजेंसियों के साथ साझा किया जाना चाहिए।
- एक सूक्ष्म योजना में दो प्रकार की उपयोजनाएँ शामिल होंगी;
 - I. वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन योजना (एफईएमपी) और,

- II. सामुदायिक विकास और आजीविका सुधार योजना (सीडी एंड एलआईपी) और प्रत्येक श्रेणी के लिए एफटीयू द्वारा एकत्रित किया जाएगा।
- एफईएमपी और सीडी एंड एलआईपी द्वारा रचित माइक्रो प्लान के तहत, 10 साल के दृष्टिकोण के आधार पर 5 साल के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की जानी है। अभ्यास के दौरान, पिछले वर्ष की उपलब्धियों का आकलन किया जाएगा, और परियोजना कार्यान्वयन की दक्षता और प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए मुद्दों और सुधारात्मक उपायों की पहचान की जाएगी।
 - चौथे वर्ष के दौरान की जाने वाली वार्षिक योजना में, आगामी 5 वर्षों के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जाएगी। 2^{वां} 5-वर्षीय कार्य योजना प्रक्रिया उसी चरण का पालन करेगी जैसा कि उपरोक्त अनुभाग में चर्चा की गई है।
 - माइक्रो प्लान की एक प्रति, तैयार होने पर, बीएमसी उप-समिति में उनकी गतिविधियों को शामिल करने के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक विकास कार्यालय (बीडीओ) और अन्य संबंधित विभागों के साथ साझा की जाएगी।
 - हालाँकि माइक्रो प्लान 6-8 वर्षों के लिए तैयार किया जाएगा, लेकिन इसकी सालाना समीक्षा की जाएगी।

2. बुनियादी जानकारी

2.1 माइक्रो प्लान पर बुनियादी सूचना पत्रक

1.	नाम का बीएमसी उप समिति	भाग जाओ
2.	वार्ड का नाम	लारी (तालिका-1)
3.	बीएमसी उपसमिति का पंजीकरण क्रमांक	एचपीसीडी-6386
4.	ग्राम पंचायत का नाम	स्थान
5.	एफटीयू/रेंज का नाम	स्थान
6.	डीएमयू/वन प्रभाग का नाम	काजा, स्पीति
7.	जिले का नाम	लाहल एवं स्पीति
8.	सूक्ष्म योजना की अवधि	24/06/2023 से 31/07/2023
9.	बीएमसी की कार्यकारी समिति द्वारा माइक्रो प्लान के अनुमोदन की तिथि उप समिति	से: (सूक्ष्म योजना के अनुमोदन के लिए बीएमसी का संकल्प संलग्न)
10.	माइक्रो प्लान के अनुमोदन की तिथि डीएफओ/ डीएमयू के प्रमुख	5/12/23
11.	चाबी टीम सदस्यों काम में लगा हुआ माइक्रो प्लान की तैयारी	FTU Chhodon FTU Minakshi एसएमएस आशुतोष पाठक
12.	सामान्य सदन के आयोजन एवं प्रस्ताव पारित होने की तिथि	16/04/2021
13.	प्रतिभागियों की संख्या	पुरुष: 100 महिला: 125 कुल: 225
14.	EC में सदस्यों की संख्या	पुरुष:4 महिला:3 कुल:7

2.2 चयनित बीएमसी उप-समिति की सामान्य प्रोफाइल

क्र.सं	विवरण	वर्तमान स्थिति
--------	-------	----------------

3.	बीएमसी उप-समिति की तिथि और पंजीकरण	03/06/2022
4.	राजस्व वार्ड/वन की संख्या गांवों को कवर किया गया	1
5.	वार्ड में परिवारों की कुल संख्या (एचएच)।	46
6.	बीएमसी उपसमिति का प्रतिनिधित्व करने वाले परिवारों की कुल संख्या	46
7.	कुल जनसंख्या	350
8.	कुल सामान्य श्रेणियाँ एचएच	शून्य
9.	कुल एससी एचएच	शून्य
10.	कुल एसटी एचएच	46
11।	कुल आईआरडीपी/बीपीएल एचएच	5
12	कुल पशुधन जनसंख्या	200
13.	बैंक के खाते का विवरण	बचत खाता
	बैंक का नाम	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
	खाता खोलने की तिथि	
	खाता संख्या/आईएफएससी	50076136634

2.3 बीएमसी उप-समिति लारी के ईसी सदस्यों का विवरण

क्र.सं	नाम	एम/ एफ	आ यु	पद का नाम	पेशा	संपर्क नंबर।
1.	-सुबोध कुमार	एम	57	अध्यक्ष/अध्यक्ष/निदेशक	किसान	8219692187
2.	CHHIMET ZANGMO	एफ	38	सचिव/महासचिव	किसान	9459792187
3.	रमेश	एम	54	कोषाध्यक्ष/वित्त सचिव	ब्लॉक अधिकारी	9459104458
4.	PARDEEP KUMAR	एम	29	कार्यकारी सदस्य/सदस्य	वनरक्षक	एन/ए
5.	छोडोन कंबल	एफ	37	कार्यकारिणी सदस्य/सदस्य	गृहिणी	9418985592
6.	डोलकर में नृत्य	एफ	43	कार्यकारिणी सदस्य/सदस्य	गृहिणी	7651085187
7.	YESHI DORJE	एम	43	कार्यकारिणी सदस्य/सदस्य	किसान	9459733395

2.4 सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया

बीएमसी उपसमिति-स्तरीय सूक्ष्म-नियोजन प्रक्रिया में वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन योजना (एफईएमपी) और सामुदायिक विकास और आजीविका सुधार योजना (सीडी एंड एलआईपी) शामिल हैं। लाइन विभागों/एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों के लिए, कन्वर्जेंस गतिविधियों का विवरण भी माइक्रो प्लान में जोड़ा जाता है। सूक्ष्म योजना की तैयारी में अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया प्राथमिक स्रोतों, माध्यमिक स्रोतों, वार्ड-स्तरीय बैठकों और प्राथमिक और माध्यमिक हितधारकों के साथ आयोजित अन्य बैठकों से सूचना संग्रह पर केंद्रित है। सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) और तीव्र ग्रामीण मूल्यांकन (आरआरए) तकनीकों का उपयोग करके समुदाय के विभिन्न वर्गों से भी जानकारी एकत्र की गई थी।

एकत्र की गई जानकारी ज्यादातर पीआरए तकनीकों पर केंद्रित है जो विशिष्ट समूहों के साथ समूह चर्चा पर केंद्रित है जिसमें कमजोर परिवार शामिल हैं; अनुसूचित जनजाति; अनुसूचित जाति और महिला। एकत्र की गई जानकारी को विभिन्न समूहों के साथ त्रिकोणित किया गया और अंत में एक पूर्ण सत्र में अंतिम रूप दिया गया।

एकत्र की गई जानकारी का बीएमसी उपसमिति के सक्रिय सदस्यों और अन्य सामुदायिक प्रतिभागियों के साथ संयुक्त रूप से विश्लेषण किया गया। एकत्र की गई प्राथमिक जानकारी को साझा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। परिवर्तन प्रतिभागियों की सहमति के आधार पर शामिल किए गए थे।

प्रतिभागियों को पीआरए उपकरणों के कुछ अभ्यास देकर अपनी समस्याओं, कथित जरूरतों और प्राथमिकताओं पर चर्चा करने और पहचानने के लिए एक समूह में इकट्ठा होने के लिए कहा गया और अंत में समूह अभ्यास के दौरान उभरी उनकी जरूरतों और प्राथमिकताओं से निपटने के लिए संभावित समाधान सुझाए गए जहां महिलाएं और पुरुषों को वन संबंधी और आजीविका संबंधी मुद्दों को सामने लाने के अधिकतम अवसर दिए गए। उप-समिति के सदस्यों और परियोजना की सूक्ष्म नियोजन टीम द्वारा संयुक्त रूप से अनुमानित समस्याओं और समाधानों का एक विस्तृत सेट विकसित किया गया था।

उप-समिति के जनरल हाउस के साथ प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों के माध्यम से एकत्र की गई कथित समस्याओं, समाधानों और जानकारी पर चर्चा की गई। माइक्रो प्लान, विशेषकर एफईएमपी को अंतिम रूप देने के लिए तकनीकी कर्मचारियों और विशेषज्ञों से इनपुट के लिए इसे आगे बढ़ाने के लिए समस्याओं और समाधानों का एक परिष्कृत सेट सामने आया। जनरल हाउस में हिमाचल प्रदेश वानिकी परियोजना की गाइडलाइन के अनुसार कार्यकारी समिति का गठन भी किया गया। वानिकी हस्तक्षेप के लिए, उपयोगकर्ता समूह भी बनाए गए थे।

एचपीएफडी और समुदाय के तकनीकी कर्मचारियों ने मात्रा निर्धारण पर ध्यान केंद्रित किया और विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए एक अस्थायी लक्ष्य तय किया और परियोजना मानदंडों और स्थानीय स्तर पर प्रचलित दरों के आधार पर लागत अनुमान तैयार किया। सूक्ष्म योजना को डिविजनल मैनेजमेंट यूनिट (डीएमयू) स्टाफ, फील्ड टेक्निकल यूनिट (एफटीयू) स्टाफ और उप-समिति की कार्यकारी समिति और अन्य विशेषज्ञों के इनपुट के साथ परामर्श द्वारा अंतिम रूप दिया गया है।

निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत विवरण सूक्ष्म-नियोजन प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले महत्वपूर्ण चरणों को दर्शाते हैं।

एस. एन.	अनुक्रमिक चरणों का पालन - स्थानीय स्तर पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार परिवर्धन किया जा सकता है	तारीख	आवृत्ति
1.	ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर सामुदायिक जागरूकता निर्माण बैठकें/कार्यशालाएं आयोजित की गईं	16/04/2021	-
2.	परियोजना के साथ काम करने के लिए जीपी की सहमति	20/04/2021	-
3.	उप-समिति गठित/कार्यकारी समिति गठित/उप-समिति पंजीकृत।	03/06/2022	-
4.	माइक्रो प्लान तैयार करने हेतु उप समिति के साथ कार्ययोजना तैयार की गई	15/02/2023	-
5.	सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ/पीआरए अभ्यास आयोजित (से-तक)	22/06/2023 से 31/07/2023	-
6.	सहभागी सूचना विश्लेषण किया गया (से-तक)	15/07/2023 से 29/07/2023	-
7.	आयोजित बातचीत/योजना प्रक्रिया (से-तक)	02/08/2023 से 30/08/2023	-
8.	बातचीत/योजना प्रक्रिया में शामिल प्रतिभागी (पुरुष और महिला)	-	15 एम 2 एफ
9.	योजना के प्रारूप को अनुमोदन हेतु ग्राम/वार्ड सभा में प्रस्तुत करना	28/08/2023	-

10.	सूक्ष्म योजना का दस्तावेजीकरण (से- तक)	05/09/2023 से 10/10/2023	-
11।	सूक्ष्म योजना और कार्यान्वयन के लिए डीएमयू और उप-समिति के ईसी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए	24/07/2023	-

3. लारी की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा

3.1 बीएमसी उप समिति का सामान्य विवरण

3.1.1 चयनित क्षेत्र का इतिहास

लारी गांव हैभारत के हिमाचल प्रदेश में लाहुल और स्पीति जिले की स्पीति तहसील में स्थित है. यह काजा जिला मुख्यालय से 55 किमी दूर स्थित है। काजा लारी गांव का उप-जिला मुख्यालय है। यह गांव स्पीति नदी के किनारे स्थित है। लारी से निकटतम बाजार ताबो है जो 6 किलोमीटर दूर है। यदि लारी की सारी आबादी कृषि और अन्य कृषि गतिविधियों में शामिल है।

3.1.2 बीएमसी उप-समिति क्षेत्र का स्थान

बीएमसी उप-समिति के अंतर्गत आता है;

गाँव	भाग जाओ
पंचायत	स्थान
अवरोध पैदा करना	स्थान
ज़िला	लाहुल एवं स्पीति
मारो	भाग जाओ
श्रेणी	डब्ल्यूएल रेंज टैबो
वन प्रभाग	डब्ल्यूएल स्पीति

उप-समिति का स्थान मानचित्र संलग्न हैपृष्ठ सं।

3.1.3 सीमाएँ

चयनित बीएमसी उप-समिति क्षेत्र की सीमा नीचे है

पूर्व	प्रक्षेपण
पश्चिम	स्थान
उत्तर	पहाड़ों
दक्षिण	स्पीति नदी

3.1.4 से दूरी


डब्ल्यूएल रेंज कार्यालय:	6 कि.मी
डब्ल्यूएल प्रभाग कार्यालय:	55 कि.मी
राज्य की राजधानी शिमला:	लगभग 400 कि.मी.

3.1.5 बीएमसी उप-समिति की महत्वपूर्ण विशेषताएं


इस क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय उत्सवों में गुइटर एट क्यी गोंपा (जुलाई), लाडार्चा मेला (मध्य अगस्त), स्पीति लोसर (नवंबर के आसपास), ठुचू (दिसंबर में शीतकालीन संक्रांति), दचांग (फरवरी के आसपास), और सिया मंटोक (फरवरी के आसपास)। ये सभी त्यौहार पारंपरिक रूप से कृषि और मौसमी बदलावों से जुड़े हुए हैं। मादक पेय छांग और अरक स्थानीय रूप से तैयार किए जाते हैं और त्योहारों और जन्म, विवाह, कुछ सफलता के जश्न और मृत्यु जैसे विभिन्न अवसरों पर बहुत लोकप्रिय होते हैं। नकदी फसल कृषि (हरी मटर और सेब की), राज्य विभागों और विकास परियोजनाओं में रोजगार, और पर्यटन स्पीति घाटी में आय के मुख्य स्रोत हैं। इन सभी आजीविकाओं और विकासात्मक गतिविधियों के लिए सड़क पहुंच का केंद्रीय महत्व रहा है

3.2 सामाजिक संरचना

परिवार (एचएच)	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	कुल
एचएच की संख्या	46	-	-	-	46
एचएच का %	100%	-	-	-	100%



ताबो बीएमसी उप-समिति में कुल 64 घरों में से 59 घर एसटी श्रेणी (92%) और 5 घर (8%) एससी श्रेणी के हैं।



3.3 जनसंख्या

सामाजिक श्रेणी	जनसंख्या (संख्या)					
	पुरुष वयस्क	महिला वयस्कों	कुल वयस्क	पुरुष बच्चे	महिला बच्चे	कुल बच्चे
अनुसूचित जनजाति	40	50	90	70	65	135

अनुसूचित जाति						
अन्य पिछड़ा वर्ग	-	-	-	-	-	-
सामान्य	-	-	-	-	-	-
कुल	40	50	90	70	65	135

- बीएमसी उप-समिति की कुल जनसंख्या 225 है।
- कुल पुरुष जनसंख्या 110 है और कुल महिला जनसंख्या 115 है।
- बीएमसी उप-समिति की प्रमुख संरचना एसटी वर्ग द्वारा गठित की गई है और उनमें से कोई भी एससी, ओबीसी और सामान्य वर्ग से नहीं है।

3.4 शैक्षणिक स्थिति

3.4.1 शैक्षिक स्थिति

स्तर	संख्या		
	पुरुष	महिला	कुल
औपचारिक शिक्षा के बिना साक्षर	25	30	55
प्राथमिक शिक्षा	28	25	53
मिडिल शिक्षा (10 ^{वाँ})	21	20	41
उच्चतर माध्यमिक (12 ^{वाँ})	10	5	15
स्नातक और उससे ऊपर	10	12	22
व्यावसायिक कोर्सेस	6	3	9
कुल साक्षर	100	95	195
एकदम निरक्षर	10	20	30
प्रतिशत (साक्षर)	90.9%	82.60%	86.75%

- बीएमसी उपसमिति ताबो में 86.75% लोग साक्षर हैं।
- पुरुष जनसंख्या की साक्षरता दर महिला जनसंख्या की तुलना में लगभग 3% अधिक है।

3.5 आर्थिक श्रेणियाँ

3.5.1 पीआरए अभ्यास के अनुसार धन रैंकिंग

वर्ग	मानदंड/संकेतक	की नहीं परिवारों	श्रेणी कोड**
का बेहतर	सरकारी नौकरी, कार्य- अंशकालिक, व्यवसाय	8	ए
प्रबंधनीय	कृषि एवं पशुधन	33	बी
गरीब	सीमांत किसान, दिहाड़ी मजदूर	5	सी
कमज़ोर (आवश्यकता) तुरंत ध्यान)	आय का कोई साधन नहीं, अंशकालिक मजदूरी	-	डी

3.5.2 गरीबी रेखा से ऊपर और नीचे (सरकारी मानदंडों के अनुसार)

	कुल	एपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
एचएच की संख्या	46	41	5
एचएच का %	100%	89%	11%

3.6 बुनियादी सुविधाओं/सेवाओं तक पहुंच

सुविधाएँ और सेवाएं	उपलब्धता (% एचएच)	दूरी (किमी)	वर्तमान स्थिति
प्रसाधन	100%	-	70% शौचालय बिना फ्लशिंग टैंक के हैं। लगभग 95% शौचालय अच्छी स्थिति में हैं और उनका उपयोग किया जा रहा है।
फलश पानी वाले शौचालय	30%	-	शौचालय अच्छी स्थिति में हैं और नियमित रूप से उपयोग किए जा रहे हैं लेकिन साल भर पानी की आपूर्ति अनियमित रहती है।
रसोई गैस	100%	55 किलोमीटर (तंग)	एलपीजी का उपयोग नियमित नहीं है क्योंकि प्रति घर प्रति वर्ष 8-10 सिलेंडर का उपयोग किया जाता है।
बेहतर चूल्हा	100%	-	सभी एचएच में हीटिंग और खाना पकाने के लिए बेहतर स्टोव भी हैं।
बिजली	100%	-	लगभग हर घर में बिजली का कनेक्शन है लेकिन कड़ाके की ठंड के दौरान बिजली गुल हो जाती है और अनियमित आपूर्ति की भी समस्या रहती है।
पेय जल	100%	-	सभी एचएच में पेयजल कनेक्शन है। सर्दियों के दिनों में तो और भी ज्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है। ट्यूबवेल ठीक से काम करने की स्थिति में नहीं हैं।
स्वास्थ्य सेवाएं	100%	5 कि.मी	ताबो में सरकारी चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध हैं।
पशु चिकित्सा सेवाएँ	100%	5 कि.मी	पुराने ताबो में सरकारी पशु चिकित्सालय उपलब्ध है
बैंकों	100%	5 कि.मी	ताबो बाजार में एटीएम सुविधा के साथ एसबीआई बैंक की सेवा उपलब्ध है। कांगड़ा सहकारी बैंक भी यहीं है।
बाज़ार	100%	5 कि.मी	सारा बाज़ार क्षेत्र एक किलोमीटर के दायरे में है यानी ताबो मुख्य बाज़ार
आंगनवाड़ी	100%	0-1 किमी	आंगनवाड़ी लारी में स्थित है।
प्राथमिक विद्यालय	100%	0-1 कि.मी	प्राथमिक विद्यालय लारी में स्थित है।
माध्यमिक स्कूलों	100%	5 कि.मी	माध्यमिक विद्यालय ताबो में स्थित है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली	100%	14 कि.मी	ताबो में बेहतर सेवा के साथ पीडीएस उपलब्ध है।
परिवहन	100%	1-2 कि.मी	सरकारी बस सेवा उपलब्ध है। ताबो बस स्टैंड ताबो बाजार के प्रवेश बिंदु के पास स्थित है। निजी टैक्सी सेवाएँ भी उपलब्ध हैं।
दूरसंचार	100%	-	सभी घरों में मोबाइल फोन सेवा है लेकिन इंटरनेट/नेटवर्क कनेक्शन खराब है।

4. संसाधन विश्लेषण

4.1 भूमि संसाधन

4.1.1 भूमि पैटर्न का प्रयोग करें

भूमि उपयोग	कुल भूमि	खेती योग्य भूमि	वन भूमि	चारागाह भूमि	बंजर भूमि	बस्ती क्षेत्र	जल निकाय क्षेत्र
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)							
% क्षेत्रफल (हेक्टेयर)							

4.1.2 भूमि स्वामित्व पैटर्न

भूमि का स्वामित्व	निजी भूमि	सामुदायिक भूमि	Panchayat land	वन भूमि	अन्य	अन्य
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)						
% क्षेत्रफल (हेक्टेयर)						

4.2 वन संसाधन

4.2.1 वन क्षेत्र

4.2.1.1 साइट चयन और स्थान

साइट को डीएमयू और उसके फील्ड स्टाफ द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया है। जैव विविधता प्रबंधन समिति ताबो का गठन हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किया गया था। उपसमिति ताबो ताबो जैव विविधता प्रबंधन समिति के अंतर्गत आती है।

4.2.1.2 समुदाय आधारित जैव विविधता प्रबंधन योजना के लिए वन्यजीव वन प्रभाग से डेटा

4.2.1.3 वन का विवरण (अभयारण्य क्षेत्र)

संपूर्ण स्पीति क्षेत्र को 'ट्रांस-हिमालयी शीत रेगिस्तान' जैव-भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। स्पीति में वनस्पति को 'अल्पाइन स्क्रब' या 'शुष्क अल्पाइन स्टेपी' वनस्पति के रूप में

वर्गीकृत किया गया है। ऐसे क्षेत्रों की विशेषता बिखरी हुई और खुली झाड़ियाँ हैं जिनमें मुख्य रूप से शाकाहारी और झाड़ीदार प्रजातियाँ मौजूद हैं आर्टेमिसिया एसपीपी., लोनीसेरा एसपीपी। और *Caragana spp.* गैमिनोइड्स जैसे फेसबुक एसपीपी., पोआ एसपीपी. और स्टिपा एसपीपी. क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन कुल मिलाकर उनका बायोमास समाप्त हो गया है (मिश्रा 2001)। आज, इस क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण वनस्पति संरचनाओं में घास और सेज (जैसे,) का वर्चस्व वाला खुला या रेगिस्तानी मैदान शामिल है। स्टिपा एसपीपी., लेयमस एसपीपी., फेस्टुकास्प., केरेक्स एसपीपी.) 4,600 मीटर तक की ऊंचाई पर, और 4,000 और 5,000 मीटर के बीच बौनी झाड़ीदार सीढ़ियों पर झाड़ियों का प्रभुत्व है जैसे कैरगाना एसपीपी., आर्टेमिसिया एसपीपी., लोनीसेरा एसपीपी। और यूरोटिया एसपीपी. मेसिक स्थल जैसे नदी घाटियाँ और झरनों और ग्लेशियरों के किनारे के क्षेत्र अक्सर सेजमीडोज से ढके होते हैं (केरेक्स एसपीपी., कोब्रेसिया एसपीपी.). वनस्पति 5,200 मीटर तक होती है, लेकिन 4,800 मीटर से ऊपर विरल हो जाती है, और वनों तक ही सीमित होती है जैसे सौरिया एसपीपी. और गद्देदार पौधे जैसे थायलाकोस्पर्मम एसपीपी. महत्वपूर्ण पादप परिवारों में ग्रास, साइपेरेसी, ब्रैसिसेसी, रेनुकुलेसी शामिल हैं।

भूविज्ञान, चट्टान और मिट्टी:

इस क्षेत्र की विशेषता क्वार्टजाइट, शैल्स, चूना पत्थर और समूह के संयोजन में तेज बदलाव है। अधिकांश क्षेत्र जीवाश्मों से समृद्ध है, मुख्य रूप से ब्रैचिपोड, ट्रिलोबाइट्स, अम्मोनाइट्स, बिवाल्व और कुछ मूंगे और शैवाल भी, जो इसके टेथियन अतीत का संकेत देते हैं। उच्च ऊंचाई वाली रेगिस्तानी मिट्टी मुख्य रूप से रेतीली और उथली होती है जो मुख्य रूप से तापमान के दैनिक और मौसमी उतार-चढ़ाव के कारण विघटन से उत्पन्न होती है। मिट्टी की बनावट अधिकतर गादयुक्त दोमट से लेकर गादयुक्त दोमट होती है, जिसका पीएच थोड़ा क्षारीय होता है, कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं और जल धारण क्षमता कम होती है। मिट्टी की बनावट अधिकतर गादयुक्त दोमट से लेकर गादयुक्त चिकनी मिट्टी वाली दोमट होती है, जिसका पीएच थोड़ा क्षारीय होता है, कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं और जल धारण क्षमता कम होती है। मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कार्बन कम हैं, हालांकि कैल्शियम की आपूर्ति बेहतर है।

इलाका:

संपूर्ण स्पीति 3,000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर स्थित है। सबसे निचला बिंदु वह है जहां नदी हर्लिंग के पास किन्नौर जिले में बहती है। स्पीति के दाहिने किनारे पर ढलान अधिक ऊबड़-खाबड़ है और इसमें लंबी धाराएँ हैं, जबकि बायाँ किनारा कम ऊबड़-खाबड़ है। दरअसल, बाएं किनारे पर किब्बर से डेमुल तक 40 किमी का पठार है; जो मध्य लिंगती घाटी के अधिकांश भाग में 500 किमी तक फैला हुआ है². 7,600 कि.मी² स्पीति द्वारा कवर किया गया। शिला (6,132 मीटर) हैं जो लोकप्रिय चढ़ाई स्थल हैं। मुख्य स्पीति नदी के साथ पहुंच के अलावा, महत्वपूर्ण दरें हैं पीर पंजाल रेंज, पारंग ला (5578 मीटर)

और पारे चू घाटी के साथ टकलिंग ला (5575 मीटर), ज़ांस्कर रेंज पर, और कुंजम ला (4590 मीटर) चंद्रा घाटी.

जलवायु:

स्पीति हिमालय की पीर पंजाल शाखा के निचले हिस्से पर स्थित है, जो मैदानी इलाकों से मानसूनी प्रभाव को काट देती है, जिससे यह क्षेत्र शुष्क और ठंडा हो जाता है। सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ बर्फ के रूप में कुछ वर्षा लाते हैं। तापमान -40 के बीच रहता है⁰चरम शीतकाल में 25 से.सेल्सियस⁰अधिकतम गर्मी में सेल्सियस, अधिकांश स्थानों पर सितंबर से अप्रैल तक न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे रहता है। लगभग हर दिन तेज़ हवाएँ चलती हैं और शुष्क वातावरण और पेड़ों की कमी का भी यही कारण है। इस प्रकार समग्र जलवायु शुष्क और ठंडी होती है और लंबी सर्दी नवंबर के मध्य से मार्च तक चलती है।

वर्षा, तापमान, हवा की गति और आर्द्रता:

हाल की स्थानीय रिपोर्ट और मेट्रोलाॉजिकल डेटा स्पीति में मौसम के पैटर्न में उल्लेखनीय बदलाव का सुझाव देते हैं जैसे कि गर्मियों में वर्षा में वृद्धि और सर्दियों में बर्फबारी में गिरावट। सर्दियों में होने वाली बर्फबारी गर्मियों में बर्फ से पिघली धाराओं के माध्यम से सिंचाई के पानी के साथ-साथ महत्वपूर्ण वसंत और शुरुआती गर्मियों की अवधि के दौरान रेंजलैंड के लिए मिट्टी की नमी प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। गर्मियों के अंत में जुलाई-अगस्त में होने वाली बारिश को खड़ी फसल के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है।

वन्य जीवन की सीमा, स्थिति वितरण और निवास स्थान:

स्पीति की स्तनधारी विविधता असाधारण रूप से बड़ी नहीं है, लेकिन सीमा-प्रतिबंधित प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं, परिदृश्य से रिपोर्ट किए गए प्राथमिक बड़े स्तनधारी हैं हिम तेंदुआ, एशियाई आइबेक्स, भरल या नीली भेड़, तिब्बती भेड़िया और लाल लोमड़ी। इनमें से सभी को राष्ट्रीय स्तर पर खतरा है, और कई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खतरा है। मौजूदा साहित्य के आधार पर, एविफुना रचना में प्रमुख रूप से प्रतिनिधित्व किया गया है, उच्च ऊंचाई वाले आवासों के अच्छे प्रतिनिधित्व और प्रतिनिधि एविफुना की अच्छी आबादी को बनाए रखने की उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए, किब्बर डब्लूएलएस स्नो पार्ट्रिज, ह्यूम के शॉर्ट-टूड लार्क (कैलेंड्रेला एक्यूटिरोस्ट्रिस), रोज़ी पिपिट (एन्थुसोसीटस), रॉबिन एक्सेंटर (प्रुनेला रूबेकुलोइड्स), ब्राउन एक्सेंटर (प्रुनेला फुलवेसेंस), सफेद पंखों वाला रेडस्टार्ट, हिमालयन ग्रिफॉन (जिप्स हिमालयेसिस), हिमालयन स्नोकाँक (टेट्रागोल्लालुशीमलयेन्सिस), हिम कबूतर(कोलंबा ल्यूकोनोटा) वगैरह।

अल्पाइन चरागाह:

वन्यजीव संस्थान के अनुसार पूरे स्पीति क्षेत्र को 'ट्रांस-हिमालयी शीत रेगिस्तान' (जोन 1) जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिसमें प्रांत 'लद्दाख पर्वत' दक्षिणी तट के अधिकांश

हिस्से को कवर करता है और 'तिब्बती पठार' उत्तरी तट को कवर करता है। भारत का जैव भौगोलिक वर्गीकरण। स्पीति में वनस्पति को 'अल्पाइन स्क्रब' या 'शुष्क अल्पाइन स्टेपी' वनस्पति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे क्षेत्रों की विशेषता बिखरी हुई और खुली झाड़ियाँ हैं जिनमें मुख्य रूप से शाकाहारी और झाड़ीदार प्रजातियाँ मौजूद हैं आर्टेमिसिया एसपीपी., लोनीसेरा एसपीपी. और *Caragana spp.* गैमिनोइड्स जैसे फेस्टुका एसपीपी., पोआ एसपीपी. और स्टिपा एसपीपी. क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन कुल मिलाकर उनका बायोमास समाप्त होता दिख रहा है। आज, इस क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण वनस्पति संरचनाओं में घास और सेज के प्रभुत्व वाले खुले या रेगिस्तानी मैदान शामिल हैं (उदाहरण के लिए, स्टिपा एसपीपी., लेयमस एसपीपी., फेस्टुका एसपीपी., केरेक्स एसपीपी.) 4,600 मीटर तक की ऊंचाई पर, और 4,000 और 5,000 मीटर के बीच बौनी झाड़ीदार सीढ़ियों पर झाड़ियों का प्रभुत्व है जैसे *Caragana spp.*, आर्टेमिसिया एसपीपी., लोनीसेरा एसपीपी. और यूरोटिया एसपीपी. मेसिक स्थल जैसे नदी घाटियाँ और झरनों और ग्लेशियरों के किनारे के क्षेत्र अक्सर सेज घास के मैदानों से ढके होते हैं (केरेक्स एसपीपी., कोब्रेसिया एसपीपी.). वनस्पति 5,200 मीटर तक होती है, लेकिन 4,800 मीटर से ऊपर विरल हो जाती है, और वनों तक ही सीमित होती है जैसे सौसर एसपीपी. और गद्देदार पौधे जैसे थायलाकोस्पर्मम एसपीपी.

ये चरागाह पीए की सीमा तक वृक्ष रेखा के ऊपर पाए जाते हैं। इन चरागाहों में विभिन्न प्रकार की औषधीय जड़ी-बूटियाँ पाई जाती हैं। भोजन, पानी और आश्रय किसी भी जीवित प्राणी की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। अभयारण्य में पशु-पक्षियों के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन और पानी उपलब्ध है। अभयारण्य के कुछ हिस्से घरेलू और आवारा मवेशियों के चरने के कारण परेशान हैं। वन्य जीवन के लिए यह कारक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि छिपने के स्थान, आश्रय, घोंसला बनाना, आराम करना, खेलना, भोजन की उपलब्धता सभी परेशान हो जाते हैं और वन्य जीवन इन क्षेत्रों से दूर हो जाते हैं। घास और अन्य बायोमास के रूप में खाद्य स्रोत में कमी की मात्रा मौजूद है। अलग-अलग शाकाहारी जीव अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग भोजन पसंद करते हैं इसलिए भोजन की उपलब्धता की गुणवत्ता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। यहां तक कि वन्य जीवन को आकर्षित या विकर्षित करने वाले विभिन्न कारकों के कारण वन्यजीव प्रजातियों के लिए पर्याप्त भोजन भी उपलब्ध नहीं हो सकता है।

4.2.1.4 हस्तक्षेप क्षेत्रों का चयन, योजना और उपचार:

बीएमसी उपसमिति को परियोजना दिशानिर्देशों का पालन करते हुए डीएमयू काजा और उनके फील्ड स्टाफ द्वारा साइट के रूप में चुना गया है, जिसमें जंगल का विभिन्न डिग्री तक क्षरण की स्थिति में होना, जंगल के आसपास के स्थानीय अधिकार धारकों की मांग और आपूर्ति श्रृंखला को पूरा करने में कमी शामिल है।

तकनीकी कर्मचारियों (एफजीडी, ब्लॉक अधिकारी और रेंज अधिकारी/एसीएफ काजा) द्वारा सूक्ष्म नियोजन अभ्यास के दौरान संभावित हस्तक्षेप क्षेत्रों/उपचार भूखंडों की पहचान की गई है। पीआरए

अभ्यास के दौरान ग्रामीणों के साथ की जाने वाली गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। चयनित भूखंड, सामुदायिक भूमि/पैच या तो खुले क्षेत्र हैं या खाली हैं, जिन पर प्रति हेक्टेयर 1100 सामान्य पौधों की दर से वृक्षारोपण मानदंडों के अनुसार रोपण किया जाएगा।

4.2.1.5 चराई, आग और अन्य जोखिमों पर डेटा और मानचित्र

चराई

चराई से वन्यजीवों को निम्नलिखित समस्याएँ होती हैं:

- भोजन की प्रतियोगिता
- अशांति
- रोगों का संचरण
- मिट्टी का कटाव
- अरुचिकर घास एवं खरपतवार की मात्रा में वृद्धि।

क्षेत्र में अवैध चराई कभी-कभी एक समस्या है क्योंकि संरक्षित क्षेत्र के अंदर और आसपास से आवारा मवेशी अधिकार धारकों के मवेशियों के साथ मिलकर अभयारण्य के अंदर चरते हैं, जिससे वन्यजीवों को परेशानी होती है। अधिकारों के निलंबन के संबंध में एमओईएफ और सीसी से प्राप्त दिशानिर्देशों को लागू करने से यह समस्या समाप्त हो रही है।

जंगल की आग

यह क्षेत्र अल्पाइन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहां कोई पेड़ नहीं हैं। लंबी सर्दियों के दौरान, यह क्षेत्र बर्फ और ग्लेशियर से ढका रहता है। अतः इस क्षेत्र में जंगल में आग लगने की कोई घटना नहीं हुई।

4.2.1.6 मानव वन्यजीव संघर्ष

वन्यजीव संघर्ष अक्सर लोगों की भलाई में बाधा डालते हैं और पीआरए अभ्यास के दौरान इस मुद्दे पर जानकारी प्रदान की गई थी। इस विशेष साइट पर नुकसान पहुंचाने वाले जंगली जानवरों की जानकारी न के बराबर थी। लेकिन अक्सर आवारा कुत्तों द्वारा लोगों के साथ-साथ उनके मवेशियों को भी नुकसान पहुंचाया जाता है।

नुस्खे:

स्थानीय लोगों को जंगली जानवरों से मुठभेड़ की स्थिति में क्या करें और क्या न करें के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए। स्थानीय लोगों को विभिन्न विभागीय कल्याण कार्यक्रमों, विशेषकर मुआवजे का दावा दायर करने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।

किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रेंज या डिवीजन मुख्यालय पर उपकरणों के साथ प्रशिक्षित अधिकारियों से युक्त एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम तैनात की जानी चाहिए।

गांवों की परिधि पर चारा वृक्षारोपण विकसित किया जाएगा और स्टाल फीडिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।

4.2.1.7 हस्तक्षेप क्षेत्रों/उपचार भूखंडों पर डेटा और मानचित्र

गणना के लिए लागू लागत मानदंड वन विभाग द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार हैं। पौधे, गड्डे का आकार वन विभाग और परियोजना दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित और अनुमोदित मॉडल के अनुसार हैं। टीम द्वारा बार-बार जंगलों का दौरा किया गया है और साइट की स्थितियों के अनुसार उपचार भूखंड निर्धारित किए गए हैं। इस क्षेत्र में मृदा संरक्षण, मृदा क्षरण रखरखाव और मृदा पुनर्जनन कार्य लागू होते हैं। स्थानीय परिस्थितियों के साथ-साथ जैविक दबाव को ध्यान में रखते हुए बाड़ लगाने वाले हिस्से का गंभीर विश्लेषण किया गया है और तदनुसार निर्धारित किया गया है।

एस.एन.	प्लॉट का नाम	प्लॉट नंबर।	क्षेत्र	अक्षांश देशान्तर	पीएफएम मोड	एफडी मोड
1	भाग जाओ	1	10	-	हाँ	-

4.3 वनों पर सामुदायिक निर्भरता की प्रवृत्ति (पीआरए अभ्यास के अनुसार)

मानदंड	अतीत में उपलब्धता एवं पहुंच	वर्तमान उपलब्धता एवं पहुंच
वन क्षेत्र	बहुत सीमित प्रतिबंधों के साथ आसानी से उपलब्ध है।	वन संरक्षण अधिनियमों और अन्य नियमों और विनियमों के कारण प्रतिबंध हैं लेकिन पहुंच आसान है।
प्रमुख प्रजातियाँ उपलब्ध हैं	प्रचुर। ट्राइगोनेला इमोडी <i>Dactylorhiza hatagirea</i> फेस्क्यू रूब्रा हिप्पोफेटिबेटाना एकोनोगोनम रोज़ा वेबबियाना	अत्यधिक दोहन के कारण कुछ प्रजातियाँ बहुत दुर्लभ हो जाती हैं लेकिन प्रमुख प्रजातियाँ अब भी प्रचुर मात्रा में हैं।
प्रमुख एनटीएफपी उपलब्ध हैं	हिप्पोफेटिबेटाना (समुद्री हिरन का सींग) रोज़ा वेबबियाना (जंगली गुलाब) कनाडाई लहसुन (जंगली प्याज) कुचला अर्नेबियाउक्रोमा (रतनजोत) जूँ	अत्यधिक चारे के कारण कुछ एनटीएफपी जैसे जंगली प्याज, रतनजोत, सलामपंजा आदि दुर्लभ हो जाते हैं। अन्य प्रजातियाँ अभी भी प्रचुर मात्रा में हैं।

	<i>Dactylorhiza hatagirea</i> (सलमपंजा)	
चारे की उपलब्धता	चारा जैसा ट्राइगोनेला इमोडी और फेस्क्यू रून्ना आसानी से उपलब्ध थे।	ये चारे की प्रजातियाँ अभी भी इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में हैं।
ईंधन लकड़ी की उपलब्धता	झाड़ियों की कई प्रजातियों का उपयोग चरागाह/चारागाह क्षेत्र से गाय के गोबर के संग्रह के साथ-साथ ईंधन की लकड़ी के लिए किया जाता था। एकत्रित गाय का गोबर ईंधन लकड़ी का मुख्य स्रोत हुआ करता था।	ईंधन की लकड़ी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्थानीय झाड़ी प्रजातियों के साथ-साथ गाय का गोबर इकट्ठा करने की प्रथा अभी भी चलन में है। चारागाह क्षेत्र आसान पहुंच में है।
इमारती लकड़ी की उपलब्धता	सैलिकस सी के साथ जंगल में उपलब्ध प्रमुख लकड़ी हुआ करती थी अरगाना ब्रेविफोलिया और तिब्बती समुद्री हिरन का सींग जो आसान पहुंच में था।	लकड़ी की कुछ स्थानीय प्रजातियों के साथ सैलिकस (जंगली विलो) और पाँपुलस एसपीपी उपलब्ध है। इस क्षेत्र में लकड़ी की उपलब्धता के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रमुख कारक हैं।
खुली चराई तक पहुंच	आसान पहुंच	वन नियमों और विनियमों के कारण कुछ प्रतिबंध हैं लेकिन पहुंच आसान है।
ईंधन लकड़ी तक पहुंच	आसान पहुंच/आस-पास	बहुत दूर जाना होगा
चारे तक पहुंच	वन भूमि नजदीक होने से आसान पहुंच	कुछ चारे की प्रजातियाँ अपनी कृषि भूमि पर उगाई जाती हैं। वन भूमि से चारा संग्रहण अभी भी स्वीकार्य है।
लकड़ी तक पहुंच	वनभूमि में कोई पेड़ नहीं हुआ करते थे इसलिए वे जंगली झाड़ियों पर निर्भर रहते थे।	वे अभी भी वन भूमि से लकड़ी के लिए जंगली झाड़ियों और झाड़ियों पर निर्भर हैं।
एनटीएफपी तक पहुंच	आसान पहुंच और अत्यधिक प्रचुर मात्रा में।	पहुंच अभी भी आसान है लेकिन लोग बहुत कम मात्रा में एनटीएफपी एकत्र करते हैं। कुछ औषधीय पौधों का संग्रह

		अम्बिस द्वारा ही किया जाता है।
--	--	--------------------------------

4.4 वन पर निर्भर परिवार (पीआरए अभ्यास के अनुसार)।)

वर्ग	जंगल पर निर्भर % एचएच					
	एनटीए फपी	ईंधन की लकड़ी	चारा	अन्य	अन्य	
प्राथमिक वन उपयोगकर्ता	100%	100%	100%			
द्वितीयक वन उपयोगकर्ता						

4.5 चयनित क्षेत्र के वन संसाधन (पीआरए अभ्यास के अनुसार)

एस। नही	प्रजाति (स्थानीय नाम)	मुख्य उपयोग	सापेक्ष प्रचुरता (%)	पौधे का अनुमानित मूल्य (1-10 का पैमाना, 1 न्यूनतम है)	
				पूरुषों	औरत
1	तिब्बती दरियाई घोड़ा (छर्मा)	औषधीय मूल्य, ईंधन की लकड़ी	78%	8	8
2	अर्नेबिया यूक्रोमा(रतनजोत)	औषधीय, हर्बल तेल	25%	6	9
3	कनाडाई लहसुन(फरना/जामन)	औषधीय, सौंदर्यीकरण, ईंधन	35%	5	7
4	सेलिकस	ईंधन, इमारती लकड़ी	18%	10	10
5	किरात	औषधीय	10%	9	9
6	ट्राइगोनेला इमोडी	चारा	10%	6	8
7	फेस्क्यू रूब्रा	चारा	3%	5	7
8	डैक्टिलोरिज़ा हतागिरिया(अंगबोलकपा)	औषधीय	3%	6	6

9	एफेड्रा जेरार्डियाना (सोमलाटा)	उच्च ऊंचाई की बीमारी का उपचार	100%	10	10
10	ज्निपर (सूप)	ईंधन की लकड़ी	5%	6	5
11	उम्र बढ़ने	औषधीय महत्व	30%	7	6
12	विषय	चारा	40%	7	6

4.6 जैव विविधता (बीएमसी उपयोग)

प्रमुख आवास	जैव विविधता संरक्षण के लिए की गई पहल
हिम तेंदुआ	<ul style="list-style-type: none"> • हिम तेंदुए और शिकार प्रजातियों की निगरानी प्रोटोकॉल विकसित करना • जन-वन्यजीव संघर्ष को समझना और प्रबंधित करना • संरक्षण के लिए सामाजिक रूप से बाड़बंदी वाले क्षेत्रों को बनाए रखने के लिए मॉडल विकसित करना • स्कूली बच्चों, शिक्षकों और युवाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम।
Bharal	<ul style="list-style-type: none"> • चारागाह विकास • शिकार पर प्रतिबंध • जल तालाब/जल संचयन संरचना का निर्माण करके वन्यजीव आवास में सुधार • पथ बंकरों, सॉल्टलिक्स आदि की मरम्मत।
औबेक्स	<ul style="list-style-type: none"> • चारागाह विकास • शिकार पर प्रतिबंध • जल तालाब/जल संचयन संरचना का निर्माण करके वन्यजीव आवास में सुधार • पथ बंकरों, सॉल्टलिक्स आदि की मरम्मत।
रेड फॉक्स (वल्पस वल्पस)	<ul style="list-style-type: none"> • मानव वन्य जीव संघर्ष से संबंधित जागरूकता। • जंगली-घरेलू जानवरों के संघर्ष से निपटने के लिए पहल। • चराई के दौरान सावधानियां।

जंगली बिल्लियाँ	<ul style="list-style-type: none"> मानव वन्य जीव संघर्ष से संबंधित जागरूकता। जंगली-घरेलू जानवरों के संघर्ष से निपटने के लिए पहल।
जंगली खरगोश	<ul style="list-style-type: none"> चारागाह विकास शिकार पर प्रतिबंध

पर्यावास प्रबंधन:

पर्यावास प्रबंधन वन्यजीव प्रबंधन की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है। निवास स्थान जितना अधिक आदर्श होगा, जंगली जानवरों के लिए भोजन, आश्रय और पानी की उपलब्धता की दृष्टि से उतना ही बेहतर होगा। आवास में उपलब्ध संसाधनों का विश्लेषण करना जरूरी है क्योंकि यही मुख्य कारक है जो अंततः वन्य जीवन को नियंत्रित करता है। अभयारण्य में उपलब्ध आवासों के प्रकार का गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। चूंकि यह भविष्य के प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा और सभी प्रबंधन प्रथाओं को आवास के प्रकार और उपलब्ध संसाधनों द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

उद्देश्य:

- संसाधनों की उपलब्धता और बाधाओं के संबंध में आवास का अध्ययन करना।
- विभिन्न प्रकार के वन्य जीवन के लिए आवास की उपयुक्तता का आकलन करना।
- न्यूनतम व्यवधान के साथ आवास संवर्धन के लिए विभिन्न गतिविधियाँ संचालित करना।
- इस क्षेत्र के वन्य जीवन के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए फलदार पौधों की स्थानीय प्रजातियों का प्रचार-प्रसार करना।

प्रबंधन नुस्खे:

- चरागाहों का सुधार.
- जल स्रोतों का रख-रखाव।
- नमक की चाट का संवर्धन.
- भौतिक विशेषताओं का संरक्षण एवं रखरखाव।
- जन-वन्यजीव संघर्ष को समझना और प्रबंधित करना।
- संरक्षण योजना एवं कार्यान्वयन में सहायता करना।

चरागाहों का सुधार

चारागाह सुधार के अंतर्गत न केवल झाड़ियों की गुणवत्ता में सुधार करना है बल्कि विशाल छप्परों/चरागाहों में कैरगाना, सी बकथॉर्न जैसी झाड़ियाँ लगाना है। रोज़ा एसपीपी, जुनिपर और अन्य प्रजातियों को बाहर ले जाने की जरूरत है। इससे चारे की विविधता बढ़ने के साथ-साथ वन्य जीवन को भी आश्रय मिलेगा। स्थानीय पौष्टिक घासों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इस योजना के तहत हर साल 10 हेक्टेयर क्षेत्र का निपटान किया जाना चाहिए।

जल स्रोतों का रख-रखाव

क्षेत्र में पानी की कमी है। अभयारण्य में जल उपलब्धता में सुधार के लिए कुछ जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना आवश्यक है। ये संरचनाएं पूरे क्षेत्र में फैली होनी चाहिए। हर साल 5-6 मिट्टी के तालाब बनाये जायेंगे। प्रस्तावित जल तालाबों के स्थल की पहचान स्पष्ट उद्देश्यों के साथ डीएफओ/एसीएफ द्वारा क्षेत्र का दौरा/निरीक्षण कर सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए। डिजाइन मौके

पर उपलब्ध साइट के अनुसार होगा। प्रत्येक संरचना की लागत अनुमान के अनुसार होगी और साइट से साइट पर अलग-अलग होगी।

4.7 एनटीएफपी संग्रह (पीआरए अभ्यास के अनुसार)

एस नहीं	का नाम एनटीएफपी	संग्रह का समय (महीने)	लगे हुए एचएच की संख्या - लगभग।	इकाई	औसत संग्रह/ सीजन/एचएच /वर्ष	मात्रा एक सीजन/वर्ष में एकत्र किया गया	क्वांटम एक में बेचा गया सीजन/वर्ष	बिक्री मूल्य रुपये में.	से वीएफडीए स क्षेत्र - हाँ/नहीं	प्रमुख समस्याए
1.	सोमलता	सितम्बर-अक्टूबर	30	किलोग्राम	2	-	-	बहुत कम बिकता है	हाँ	अत्यधिक शोषण
2.	सलामपंजा	अक्टूबर	10	किलोग्राम	2	-	-	नमक नहीं	हाँ	कम बहुतायत
3.	जंगली प्याज	जून जूलाई	25	किलोग्राम	2	-	-	नमक नहीं	हाँ	कम बहुतायत
4.	उम्बल	जूलाई-अगस्त	30	किलोग्राम	4	-	-	नमक नहीं	हाँ	कम बहुतायत
5	है	12 महीने	30	किलोग्राम	2			नमक नहीं	हाँ	कम बहुतायत
6	जंगली खबानी	सितम्बर-अक्टूबर	10	किलोग्राम	30	-	-	जंगली खबानी तेल के लिए 700-1000/लीटर।	हाँ	कम बहुतायत
7	समुद्री हिरन का सींग	अक्टूबर - नवंबर	46	किलोग्राम	10	-	-	प्रसंस्कृत समुद्री हिरन का सींग के लिए 400/किग्रा.	हाँ	प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन का उचित ज्ञान नहीं।

सोमलता, जंगली प्याज, सालमपंजा आदि जैसे औषधीय पौधे बहुत कम घरों में अपने पाक प्रयोजन और औषधीय उपयोग के लिए एकत्र किए जाते हैं। केवल वे ही लोग इन प्रजातियों की खोज में लगे हुए हैं जिन्हें उनके मूल्य के बारे में जानकारी है। सी-बकथॉर्न फलों को घरेलू प्रयोजन के लिए एकत्र किया जाता है। स्थानीय लोग कुछ हद तक समुद्री हिरन का सींग के फलों से जूस और जैम बनाने में लगे हुए हैं लेकिन उन्हें इस प्रक्रिया के बारे में उचित जानकारी नहीं है।

कुछ स्थानीय लोग हर्बल चाय के उद्देश्य से व्यावसायिक रूप से समुद्री हिरन का सींग की पत्तियां एकत्र कर रहे हैं। जिनके क्षेत्र में जंगली खुबानी के पेड़ हैं, वे खुबानी के बीज से आवश्यक तेल निकालते हैं। खुबानी के तेल का बाजार मूल्य बहुत अधिक है

4.8 ईंधन संग्रहण/खपत

एस न हीं	प्रयुक्त ईंधन का प्रकार	की नहीं एचएच शामिल हैं	इकाई	औसत एचएच उपभोग /वर्ष	सूत्रों का कहना है	शामिल लागत, यदि कोई हो	प्रमुख समस्याएँ
1.	गाँव का गोबर	46	कि लोग्राम	4	चारागाह/वन भूमि	-	गोबर संग्रहण के लिए दूर तक जाना पड़ता है मानव वन्यजीव संघर्ष
2.	रसोई गैस	46	प्रति यूनि ट	12	सरकारी गैस एजेंसी	₹. 1500	सर्दियों के दौरान एलपीजी वितरण/परिवहन/उच्च लागत को लेकर समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं
3.	ईंधन की लकड़ी	46	क्यू	20	वन मंडल	₹. 700/क्यू	सरकार सब्सिडी नहीं देगी तो महंगा पड़ेगा
4.	मिट्टी का तेल	46	एल	40	सरकारी एजेंसी/बाज़ार	90-95/ली	उच्च लागत सर्दियों के दौरान कभी-कभी अनुपलब्ध होता है।

4.9 ईंधन/ईंधन लकड़ी कमी

ईंधन की कमी	ईंधन की कमी वाले % एचएच	अवधि (महीने)	निपटने की रणनीतियाँ
कम	40%	नवंबर-मार्च	स्थानीय संसाधनों पर निर्भरता
मध्यम	-	-	-
उच्च	-	-	-

- सर्दियों (नवंबर-मार्च) के दौरान ईंधन लकड़ी की खपत अधिक होती है।
- वन विभाग द्वारा रियायती दर पर ईंधन की लकड़ी का वितरण सर्दियों के दौरान परिवारों के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए अधिक आपूर्ति की आवश्यकता है।
- ग्रामीण सर्दियों के दौरान उपयोग के लिए वन क्षेत्र से गाँव के गोबर के उपलों के संग्रह पर भी निर्भर हैं।

4.10 चारा संग्रहण/खपत

एस. एन.	प्रयुक्त चारे का प्रकार	शामिल एचएच की संख्या	इकाई	औसत एचएच खपत/वर्ष	सूत्रों का कहना है	शामिल लागत, यदि कोई हो	प्रमुख समस्याएँ
1	हरा चारा	46	क्यू	25	वन भूमि/कृषि क्षेत्र	-	पानी की कमी
2	हरी घास/ल्यूसर्न	46	क्यू	25	वन भूमि/कृषि क्षेत्र	-	पानी की कमी
3	जौ का भूसा/गेहूं का भूसा	46	क्यू	30	Kaza /Kinnaur Market	900\Q	परिवहन
4	Chhiri	46	क्यू	10	वन भूमि/कृषि क्षेत्र	-	परिवहन/समय पर उपलब्ध नहीं

- लोग उच्च मूल्य वाली नकदी फसलें, विशेषकर सब्जियां पसंद करते हैं और पारंपरिक फसलें नहीं उगा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप चारे की उपलब्धता कम हो रही है।
- सितंबर के बाद गायों और बैलों को बर्फबारी होने तक मुफ्त चरने के लिए खुले चरागाहों में भेज दिया जाता है। सर्दियों में वे अपने पालतू मवेशियों को वापस घर ले जाते हैं।
- छिरी और ठेमा जैसे चारा आसानी से उपलब्ध हैं।

4.11 चारे की कमी

चारे की कमी	चारे की कमी वाले % एचएच	अवधि (महीने)	निपटने की रणनीतियां
कम			
मध्यम	80%	नवंबर-मार्च	बाजार से लाए गए सूखे चारे, जौ और गेहूं के भूसे का उपयोग करें

4.12 इमारती लकड़ी

एस। नहीं	प्रयुक्त प्रकार की इमारती लकड़ी	की नहीं एचएचएस की मांग /वर्ष	इकाई	लागत शामिल	संग्रहण/खरीद का वर्तमान स्रोत	प्रमुख समस्याए
1	कृषि उपकरण, मकान के लिए लकड़ी निर्माण/मरम्मत, फर्नीचर आदि	15-20 (यह परिवारों की आवश्यकता पर निर्भर करता है)	पैर	रु. 140/एफ-175/एफ	इमारती लकड़ी वितरण, लकड़ी डिपो, बिक्री डिपो,	कोई जंगल नहीं है, उन्हें डिपो से खरीदी गई लकड़ी के लिए गाड़ी का भुगतान करना पड़ता है।

4.12.1 इमारती लकड़ी की कमी

इमारती लकड़ी की कमी	%HHs लकड़ी की कमी के साथ	अवधि (महीने)	निपटने की रणनीतियां
कम	25%	दिसंबर-अप्रैल	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग
मध्यम	-	-	-
उच्च	-	-	--

4.13 वन प्रबंधन प्रथाएँ

प्रमुख गतिविधियाँ	पारंपरिक प्रथाएँ	वर्तमान प्रथाएँ
पौधशाला विकास	वन प्रजातियों के लिए कोई नर्सरी तैयार करने की प्रथा नहीं। वन क्षेत्र में कुछ प्रजातियों का प्राकृतिक पुनर्जनन।	नर्सरी निर्माण एवं विकास का कार्य वन विभाग द्वारा किया जाता है।
वृक्षारोपण प्रबंधन	प्राकृतिक रूप से उगने वाली प्रजातियों का संरक्षण। चिनार और विलो का वृक्षारोपण।	वन विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण कार्यक्रम। सामुदायिक वन विकास। चारागाह भूमि प्रबंधन
वन संरक्षण	ऐसी कोई सुरक्षा गतिविधियाँ नहीं; कुछ प्रजातियों का अत्यधिक दोहन और कटाई की गई।	सामाजिक वानिकी और सामुदायिक वन प्रबंधन प्रथाएँ।
विकास गतिविधियाँ	कुछ क्षेत्रों में बाड़ लगाना। अव्यवस्थित आचरण किये गये।	विभिन्न जैव विविधता प्रबंधन समिति एवं वन विभाग के माध्यम से व्यवस्थित ढंग से विकास गतिविधियाँ।
आजीविका गतिविधियाँ	कृषि, एनटीपीएफ संग्रह/पशुधन	कृषि, एनटीएफपी संग्रह, लघु व्यवसाय, गृह प्रवास/पर्यटन

बीएमसी उपसमिति वानिकी वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण कार्य, वन रखरखाव और संरक्षण कार्य में शामिल होगी।

4.14 वन संरक्षण प्रथाएँ

वन अशांति	पारंपरिक प्रथाएँ	वर्तमान प्रथाएँ
जंगल की आग	यह क्षेत्र पेड़ों से रहित है और सर्दियों के दौरान बर्फ से ढकी स्थिति इस क्षेत्र को जंगल की आग से मुक्त बनाती है। तो, जंगल में आग लगने की संभावना है।	यह क्षेत्र पेड़ों से रहित है और सर्दियों के दौरान बर्फ से ढकी स्थिति इस क्षेत्र को जंगल की आग से मुक्त बनाती है। तो, जंगल में आग लगने की संभावना है।
भूस्खलन	चेक बांध और वनस्पति दीवारें	चेक डैम, क्रेट दीवारों का निर्माण, वृक्षारोपण कार्यक्रम।
बाढ़	सुरक्षा दीवारें	सुरक्षा दीवारों, बांधों आदि का निर्माण।
शिकार करना	WLPA 1972 से पहले शिकार/अवैध शिकार प्रचलित था। जंगली बकरियों का शिकार करने के लिए कत्तों का इस्तेमाल किया जाता था।	पूरी तरह से प्रतिबंधित.
अवैध गतिविधियां	अवैध गतिविधियों के खिलाफ ऐसी कोई सुरक्षा प्रथा नहीं है।	अवैध शिकार विरोधी और शिकार विरोधी अभियान।
जैव विविधता संरक्षण	जैव विविधता के संरक्षण के प्रति ज्यादा जागरूक नहीं।	संरक्षण एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेना।

- बीएमसी उप-समिति वृक्षारोपण स्थलों की सुरक्षा करेगी।
- बीएमसी उप-समिति ड्राई स्टोन चेक डैम निर्माण, ब्रश वुड चेक डैम और बायोइंजीनियरिंग कार्यों में भाग लेगी।
- बीएमसी उप-समिति अवैध कटाई, शिकार आदि जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने में मदद करेगी।
- बीएमसी उप-समिति एनटीएफपी संरक्षण कार्यों में भाग लेगी।

4.15 जल संसाधन

जल संसाधन	संख्या	पानी की उपलब्धता (महीने)	विभिन्न उपयोग	वर्तमान स्थिति	किसके द्वारा रख-रखाव किया जाता है	समस्या	अवसर
प्राकृतिक झरने	1	7	पीने/सिंचाई/पशुधन के लिए	उपयोग में/चल रहा है	ग्रामीणों	खुला स्रोत, सर्दियों, बाढ़ की समस्याओं के दौरान उपलब्ध नहीं	यदि अच्छी तरह से रखरखाव किया जाए तो इसका उपयोग पीने के साथ-साथ सिंचाई के लिए भी किया जा सकता है।
नदी	1	12		दौड़ना	सरकार. विभागों	बाढ़	क्षेत्र में सिंचाई की उच्च संभावना
टैंक	4 (जल भंडारण टैंक + डी सिल्टिंग टैंक))	6	जलपान/सिंचाई	उपलब्ध	ग्रामीणों	सर्दियों के दौरान उपयोग नहीं किया जा सकता	सुव्यवस्थित वितरण में अधिक कुशल
पीने के पानी की सप्लाई	आईपीएच आपूर्ति	7	पीने	उपलब्ध	आईपीएच/ग्रामीण	सर्दियों के दौरान उपलब्ध नहीं है	सर्दियों में पीने के पानी की समस्या को कम किया जा सकता है.

4.16 कृषि संसाधन

4.16.1 खेती योग्य भूमि उपयोग पैटर्न

खेती योग्य भूमि	सिंचित भूमि	वर्षा आधारित भूमि	खेती योग्य बंजर भूमि	भूमि पट्टे पर दी गई	जमीन पट्टे पर दी गयी	अन्य
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)						
% क्षेत्रफल (हेक्टेयर)						

4.16.2 भूमि धारण पैटर्न

वर्ग	मानदंड	एचएच की संख्या	% एचएच
भूमिहीन एचएच			
सीमांत किसान			
छोटे किसान			
मध्यम किसान			
बड़े किसान			

4.16.3 फसल पैटर्न

प्रमुख फसलें	संलग्न किसानों की संख्या	सिंचित/ वर्षा आधारित	उपज की इकाई	औसत फसल उपज	जिला/राज्य औसत उपज	% घाटा उपज	कारण, यदि उपज कम हो	के लिए अनुमानित समाधान फसल सुधारें उपज
आलू	35	रेनफेड	क्यू/हे	एन/ए	-	-	सिंचाई की उचित सुविधा नहीं, खाद एवं उन्नत बीज का अभाव	सिंचाई सुविधाओं में सुधार किया जाए।
जौ	7	रेनफेड	क्यू/हे	14.45	16.72	2.27	सिंचाई की उचित सुविधा नहीं, खाद एवं उन्नत बीज का अभाव	कृषि विभाग से तकनीकी मार्गदर्शन की आवश्यकता है.
हरे मटर	20	रेनफेड	क्यू/हे	65.2	76.6	11.4	उर्वरक एवं सिंचाई सुविधाओं का अभाव, उच्च बीज दर और कम अंकुरण दर, खस्ता फफूंदी रोग	उन्नत (रोग प्रतिरोधी एवं अधिक उपज देने वाली) किस्मों का उपयोग किया जाना चाहिए जिसके लिए कृषि विभाग जिम्मेदार है। किसानों को मृदा परीक्षण की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।
सेब	46	रेनफेड	क्यू/हे	8-10	12-15	-	सिंचाई एवं पोषक तत्व प्रबंधन समस्याएँ	उद्यान/कृषि विभाग के माध्यम से जैविक खाद की आपूर्ति। पोषक तत्व प्रबंधन प्रथाओं पर किसानों के लिए कार्यशाला।

4.16.4 खेती योग्य भूमि की चुनौतियाँ

बड़ी चुनौतियाँ	चुनौतियों से निपटने के लिए वर्तमान रणनीतियाँ	वर्तमान रणनीतियों की उपयोगिता
----------------	--	-------------------------------

माइक्रोप्लान: (बीएमसी उप-समिति - एलएआरआई) ने काजा और रेंज डब्ल्यूएल स्पीति वाइल्डलाइफ डिजीजन, स्पीति को हराया

मिट्टी की उर्वरता खराब होना	FYM और अन्य उर्वरकों का प्रयोग	मध्यम उपयोगी
मृदा अपरदन (कम)	पत्थर की संरचनाएं, वृक्षारोपण, सजीव मल्लिचंग	मध्यम उपयोगी
मृदा अपरदन (मध्यम)	पत्थर की संरचनाएं, वृक्षारोपण, सजीव मल्लिचंग	मध्यम उपयोगी
मृदा अपरदन (गंभीर)	कोई गंभीर मिट्टी का कटाव नहीं	-
कम भूमि उत्पादकता	FYM और अन्य उर्वरकों का प्रयोग	मध्यम उपयोगी
कम नमी प्रतिधारण	लाइव मल्लिचंग, जैविक मल्लिचंग	मध्यम उपयोगी
सिंचाई का अभाव	सिंचाई के लिए पीवीसी पाइप का उपयोग	कम उपयोगी (महंगा)

4.16.5 पशुधन संसाधन

4.16.5.1 पशुधन धारण पैटर्न

प्रकार	की संख्या एचएच शामिल हैं	औसत एचएच होल्डिंग	जानवरों की संख्या - लगभग।	समस्या	अवसर
गायों	40	2	80	दूर का चारा उपलब्धता कम दूध उत्पादन वैज्ञानिकता का अभाव का ज्ञान पशु पालन	संभावित चरागाह क्षेत्र की पहचान. पशु चिकित्सा विभाग को तदनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।
अच्छा	15	2	30	दूर का चारा उपलब्धता कम दूध उत्पादन वैज्ञानिकता का अभाव का ज्ञान पशु पालन	संभावित चरागाह क्षेत्र की पहचान. पशु चिकित्सा विभाग को तदनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।
गधा	10	3	30	चारे की समस्या	कठिन भूभागों पर परिवहन के साधन

4.16.5.2 मुख्य पशुधन का उत्पादन

प्रकार	उत्पाद	उत्पाद आयन की इकाई	औसत उपज/उत्पादन	जिला/राज्य औसत	कम उपज/उत्पादन के कारण
गायों	दूध	लीटर	1.5 लीटर (स्थानीय नस्ल) 3.5 एल (हाइब्रिड)	4.2	स्टॉल फीडिंग पोषण की कमी कम चारे की उपलब्धता

5. आजीविका रणनीतियाँ

5.1 मौजूदा आजीविका रणनीतियाँ

आजीविका का स्रोत	एचएच आश्रित की संख्या के रूप में		प्रमुख बाधाएँ/चूनेतियाँ
	मुख्य स्रोत	द्वितीयक स्रोत	
कृषि	40	5	इस क्षेत्र में वर्षा होती है इसलिए किसानों द्वारा उन्नत प्रौद्योगिकियों और आदानों को अपनाने की दर सिंचित भूमि की तुलना में कम है। छोटी भूमि जोत. गंभीर स्थलाकृतिक और जलवायु कारकों और सभी जैविक दबाव के कारण मिट्टी का क्षरण।
वानिकी	5	15	विस्तृत चरागाह क्षेत्र लेकिन बहुत कम वनस्पति। अतिक्रमण की समस्या
पशुधन/पशु कृषि		8	चारे की कमी बिखरी हुई भूमि जोतें कम दूध उत्पादन और खराब विस्तार सेवा उन्नत नस्ल का अभाव
दिहाड़ी मजदूर			कोई प्रतिबद्धता नहीं / कम रोजगार
छोटा व्यवसाय	15		कृषि व्यवसाय में विपणन समस्याएँ कचरे माल की समय पर अनुपलब्धता

सेवा/नौकरी			सेवा-उन्मुख लोगों को तैयार करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कुशल जनशक्ति का अभाव।
------------	--	--	--

5.2 आजीविका- गतिविधि कैलेंडर

महीना (स्थानीय)	मुख्य गतिविधियाँ			
	कृषि	वानिकी कार्य	मजदूरी का काम	अन्य (निर्दिष्ट करें)
जनवरी	-	-	-	हथकरघा/हाथ से बुनाई/कालीन बनाना
फरवरी	-	-	-	हथकरघा/हाथ से बुनाई/कालीन बनाना
मार्च	-	-	-	हथकरघा/हाथ से बुनाई/कालीन बनाना
अप्रैल	खेत की तैयारी एवं बुआई	वन एवं निजी भूमि पर वृक्षारोपण	कृषि क्षेत्र में निर्माण कार्य/मजदूरी	-
मई	अंतरसांस्कृतिक संचालन और सिंचाई	वन एवं निजी भूमि पर वृक्षारोपण	कृषि क्षेत्र में निर्माण कार्य/मजदूरी	-
जून	अंतरसांस्कृतिक संचालन और सिंचाई	वन एवं निजी भूमि में वृक्षारोपण,	निर्माण/वृक्षारोपण	-
जुलाई	अंतरसांस्कृतिक संचालन और सिंचाई	वन और निजी भूमि में वृक्षारोपण, एनटीएफपी संग्रह	निर्माण/वृक्षारोपण	-
अगस्त	अंतरसांस्कृतिक संचालन और सिंचाई	क्रेट दीवार/चेक बांध का निर्माण, एनटीएफपी संग्रहण	कृषि गतिविधियाँ	-
सितम्बर	कटाई	संरक्षण गतिविधियाँ, एनटीएफपी संग्रह	कृषि गतिविधियाँ	-
अक्टूबर	गहाई, कटाई के बाद और भंडारण	एनटीएफपी संग्रह	कृषि गतिविधियाँ	-
नवंबर	-	-		हथकरघा/हाथ से बुनाई/कालीन बनाना
दिसंबर	-	-		हथकरघा/हाथ से बुनाई/कालीन बनाना

5.3 भोजन की कमी

भोजन की कमी	भोजन की कमी वाले % एचएच	अवधि (महीने)	निपटने की रणनीतियां
कम	5%	दिसम्बर-फरवरी	दूसरों से मदद
मध्यम	-	-	-
उच्च	-	-	-

हालाँकि कुछ बीपीएल परिवार हैं लेकिन भोजन की ऐसी कोई कमी नहीं देखी गई है क्योंकि इससे निपटने के लिए पीडीएस योजनाएं मौजूद हैं।

5.4 आय की कमी

आय कमी	% परिवारों साथ आय की कमी	अवधि (महीने)	निपटने की रणनीतियां
कम	5%	नवंबर-मार्च	रकम उधार देना
मध्यम	-	-	-
उच्च	-	-	-

आय की कमी बहुत कम मात्रा में देखी गई है।

6. संस्थागत विश्लेषण

7.1 मौजूदा समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ)

सीबीओ	इतने साल की उम्र सीबीओ (वर्ष)	औपचारिक अनौपचारिक	दर्ज कराई (हां नहीं)	उद्देश्य	सदस्य जहाज	चाबी गतिविधियाँ	सीबीओ की विश्वसनीयता	बाहरी संबंध	प्रोजेक्ट के लिए उपयोगी
बीएमसी	2	औपचारिक	हाँ	जैव विविधता संरक्षण सहभागी वन प्रबंधन	स्वेच्छा से (16 सदस्य)	वन्य जीवन की बातचीत वन प्रबंध सामुदायिक विकास	असरदार	वन विभाग के साथ	बहुत उपयोगी
मंदिर (मठ) समिति	-	अनौपचारिक	नहीं	धार्मिक गतिविधियाँ	सभी आस्तिक एवं उपासक	धार्मिक सभाएँ और बैठकें	असरदार	-	हाँ
स्वयं सहायता समूह	अभी तक नहीं बना है								
यूवा समूह	25	औपचारिक	हाँ	नशा विरोधी अभियान आरोग्य और स्वस्थता सामुदायिक विकास	स्वेच्छा से (40 सदस्य)	खेलकूद गतिविधियाँ स्वच्छता अभियान	अच्छा	-	हाँ
Mahila Mandal	25	औपचारिक	हाँ	महिला सशक्तिकरण	स्वेच्छा से (40 सदस्य)	लड़कियों की शिक्षा के लिए गतिविधियाँ सामुदायिक विकास	अच्छा	-	हाँ

उपर्युक्त सभी समितियाँ/समूह परियोजना के लिए बहुत मददगार होंगे और उनकी भागीदारी परियोजना गतिविधियों के कार्यान्वयन में सहायक होगी। इन समितियों के प्रतिनिधियों को नामांकित सदस्यों के रूप में बीएमसी उप-समिति में शामिल किया जाएगा।

6.2 बाहरी संबंधों के लिए प्राथमिकताएँ

बाहरी का नाम अंतर्ज्ञान (नहीं)	का महत्व ईआई	के साथ संबंध ईआई	ईआई के साथ जुड़ने को प्राथमिकता
Gram panchayat	परिवारों के लिए सरकारी योजनाएं पीएमजीएसवाई और सामान्य सदन की बैठक के माध्यम से सड़क कनेक्टिविटी	बहुत अच्छा और मददगार	2
वन मंडल	जैव विविधता संरक्षण एवं वन संरक्षण, वृक्षारोपण गतिविधियाँ	सौहार्दपूर्ण संबंध	1
बागवानी/कृषि विभाग	कृषि/बागवानी फसलों और उन्नत किस्मों के लिए योजनाएँ	हार्दिक	3
पशुचिकित्सा	वाणिज्यिक पशुधन उत्पादन के लिए	हार्दिक	4
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	स्वास्थ्य सुविधाएं/सेवाएं	हार्दिक	5
Jal Shakti	जल आपूर्ति एवं सिंचाई	अच्छा	3
लोक निर्माण विभाग	विकासात्मक गतिविधियाँ	कड़वा	3

6.3 मौजूदा एसएचजी की प्रोफाइल

एस। नहीं	नाम	सदस्यों	के प्रकार (आईजीए में)	धन निवेश किया गया	वित्त का स्रोत	लाभप्रदता	साख
1							
2							

बीएमसी उप समिति लारी में कोई भी मौजूदा एसएचजी नहीं है।

7. समस्या विश्लेषण एवं समाधान

7.1 विश्लेषणित समस्याएँ और वैज्ञानिक समाधान

एस न हीं	समस्याओं की पहचान की गई	पहचानी गई समस्याओं का औचित्य	समस्याओं का विस्तार	अनुशंसित समाधान
1	निकटवर्ती वन क्षेत्र से औषधीय पौधों और चारे की घटती उपलब्धता।	सीमित वन क्षेत्र के कारण अत्यधिक दोहन और अत्यधिक चराई समस्या का कारण बनती है।	गंभीर	सामुदायिक दृष्टिकोण के माध्यम से पुष्प विविधता का संरक्षण। वृक्षारोपण कार्यक्रम।
2	कम नमी प्रतिधारण/पानी की कमी	क्षेत्र में वर्षा होती है इसलिए सीमित जल संसाधन इन समस्याओं का कारण बनते हैं।	गंभीर	जल संचयन संरचनाओं का निर्माण।
3	मिट्टी का कटाव	ग्लेशियर पिघलने और हवा के कारण।	मध्यम	कंटूर ट्रैचिंग, चेक डैम/क्रेट दीवारों का निर्माण
4	पेयजल की अपर्याप्त आपूर्ति	कड़ाके की ठंड के कारण जब तापमान -25 से नीचे पहुंच जाता है तो पीने का पानी उपलब्ध नहीं है।	गंभीर	इस मुद्दे को सरकारी एजेंसियों द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए।
5	खाद्य/मूल्य संबंधित उत्पादों का विपणन	मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों के लिए कोई विपणन रणनीति नहीं।	मध्यम	इन समस्याओं के समाधान के लिए क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण/कार्यशालाएँ आवश्यक हैं जिनका नेतृत्व कृषि/बागवानी विभाग को करना चाहिए।
6	उर्वरक/बीज/FYM	क्षेत्र के सुदूर होने के कारण	गंभीर	इस मुद्दे को सरकारी एजेंसियों द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए।
7	परिवहन	कठिन भूभाग	गंभीर	

7.2 अनुमानित समस्याएँ और समाधान

ए स। न हीं	प्रमुख हितधारकों	हितधारकों द्वारा पहचानी गई प्रमुख समस्याएं	एचएच और/या प्रभावित क्षेत्र की संख्या	समस्याओं के गंभीर कारण	अनुमानित समाधान
1	औरत	कम आय, चारे और ईंधन की लकड़ी से संबंधित समस्याएं, सामुदायिक विकास गतिविधियों में भागीदारी के लिए समान अधिकार नहीं	40	शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव	महिलाओं/लड़कियों के लिए शिक्षा, सामुदायिक गतिविधियों में समान भागीदारी, एसएचजी और महिला मंडल के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता विकास।
2	वेतन- श्रम	कोई उचित/वादा किया हुआ रोजगार नहीं,	4	रोजगार सृजन की गतिविधियां ज्यादा नहीं	कृषि गतिविधियों/निर्माण कार्य एवं अन्य विभागों में रोजगार की संभावना
3	किसान	पानी की कमी, कृषि उत्पादों का उचित विपणन न होना, उन्नत बीज और उर्वरकों की कम उपलब्धता।	46	वर्षा आधारित कृषि, कठिन भूभाग, लंबी और कठोर सर्दी, कृषि/बागवानी विभाग से अधिक सहायता नहीं	जल संचयन गतिविधियाँ, वृक्षारोपण गतिविधियाँ, जैविक खाद तैयार करने पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम और वैज्ञानिक/जलवायु लचीली कृषि

7.3 कार्यान्वयन गतिविधियाँ/हस्तक्षेप

क्र.सं	सहमत समाधानों के अनुसार विशिष्ट गतिविधियाँ	लाभार्थियों की संख्या
1	सहभागी वन प्रबंधन	
	सामुदायिक भूमि पर चारा एवं ईंधन लकड़ी के वृक्षों का रोपण। हालाँकि इस क्षेत्र में चारे और ईंधन की लकड़ी की प्रजातियों की माँग अधिक है लेकिन केवल कुछ प्रजातियाँ ही विकसित और जीवित रह सकती हैं। जो प्रमुख प्रजातियाँ लगाई जाएंगी वे हैं पोपलर, विलो और सी बकथॉर्न।	पूरा समुदाय
	उच्च मूल्य वाली एनटीएफपी प्रजातियों का संरक्षण और चारागाह भूमि का विकास।	
	सतत वन विकास प्रथाओं को लागू किया जाएगा और घास/चारा प्रजातियों और अन्य औषधीय पौधों का अत्यधिक दोहन कम किया जाएगा।	
	वन भूमि पर अतिक्रमण पर रोक लगेगी।	
2	मृदा एवं जल संरक्षण	
	नालों के पास मिट्टी के कटाव और भूस्खलन को कम करने के लिए चेक डैम/क्रेट दीवारों का निर्माण।	पूरा समुदाय
	मौजूदा जल निकायों का नवीनीकरण, टैंकों का निर्माण आदि।	
	कृषि भूमि से मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए मल्लिचंग प्रथाएँ।	
	विद्यमान प्राकृतिक झरनों का प्रबंधन।	
3	जैव विविधता संरक्षण	
	जैव विविधता संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी।	पूरा समुदाय
	वन विभाग के साथ जागरूकता अभियान में भागीदारी।	
	वनस्पतियों और जीवों की स्थानीय प्रजातियों का संरक्षण।	
	शिकार/अवैध शिकार और अवैध गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध।	

4	सामूदायिक विकास	
	सिंचाई नहरों/प्रणाली का निर्माण।	पूरा समुदाय
	जल संचयन टैंकों का निर्माण	
	सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण.	
	सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना.	
5	आजीविका में सुधार	
	एसएचजी का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।	पूरा समुदाय
	सिलाई/हथकरघा पर क्षमता निर्माण।	
	स्वयं सहायता समूहों को हाथ से बनाई/स्वचालित बनाई पर प्रशिक्षण	
	कृषि/बागवानी सेवा के लिए क्षमता निर्माण गतिविधियाँ।	
	मशरूम की खेती.	
6	अभिसरण में विविध गतिविधियां शुरू की जाएंगी	
	फल/खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना।	पूरा समुदाय
	कचरा प्रबंधन/स्वच्छता।	

7.4 एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण

ताकत	कमजोरी
<ul style="list-style-type: none"> ● लोगों के बीच एकता. ● काजा और चंद्रताल की ओर मुख्य राजमार्ग। ● शिक्षित युवा. ● व्यक्तिगत स्तर पर बहुत मजबूत. 	<ul style="list-style-type: none"> ● परियोजना के बारे में जागरूकता का अभाव. ● कठिन परिश्रम ● महिलाओं के लिए कोई आय सृजन गतिविधियाँ नहीं। ● अन्य विभागों से कोई समन्वय नहीं. ● सामुदायिक विकास पर बहुत खराब प्रदर्शन.
अवसर	धमकी
<ul style="list-style-type: none"> ● स्थानीय कृषि उत्पादों की बाज़ार क्षमता. ● पर्यटकों के आकर्षण। ● इस क्षेत्र में धन का अधिकतम संकेन्द्रण। 	<ul style="list-style-type: none"> ● संसाधनों का अत्यधिक दोहन। ● क्षेत्र की जलवायु स्थिति.

7.5 परियोजना अवधि के लिए विकास के उद्देश्य निर्धारित करना

वानिकी विकास के उद्देश्य

- दीर्घकालिक वन स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार
- वन क्षेत्रों एवं वन्य जीव अभ्यारण्य का संरक्षण एवं संरक्षण।
- चारे और ईंधन की लकड़ी के लिए बढ़ी हुई वनस्पति वृद्धि।
- एनटीएफपी का संरक्षण.
- सतत वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन।
- संरक्षण कार्य
- वन भूमि पर अतिक्रमण कम करें।
- वृक्षारोपण प्रबंधन.

गाँव/समुदाय विकास के उद्देश्य

- सतत आजीविका
- वन संसाधनों पर दबाव में कमी
- संपत्ति सृजन
- क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विभिन्न विभागों का अभिसरण
- महिला सशक्तिकरण
- ग्रामीण उद्यमिता विकास.
- आय सृजन गतिविधियाँ।

8. वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन योजना

8.1 सामान्य विवरण

तकनीकी कर्मचारियों (एफजीडी, ब्लॉक अधिकारी और रेंज अधिकारी) द्वारा सूक्ष्म नियोजन अभ्यास के दौरान संभावित हस्तक्षेप क्षेत्रों / उपचार भूखंडों और मृदा संरक्षण कार्यों की पहचान की गई है। जीपीएस स्थान एकत्र किए गए हैं और वृक्षारोपण स्थलों का प्लॉटवार व्यय विवरण तैयार किया गया है। पीआरए अभ्यास के दौरान ग्रामीणों के साथ की जाने वाली गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। चयनित वृक्षारोपण भूखंड/पैच या तो खुले क्षेत्र हैं या खाली हैं, जिन पर प्रति हेक्टेयर 500 -200 पेड़ों के बीच बहुउद्देशीय पेड़ लगाए जाएंगे। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी पहलू पर होने के कारण योजना तालिका प्रजातियों का चयन, स्टॉक स्वास्थ्य और गड्ढे के आकार को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मृदा संरक्षण कार्यों के लिए क्रियान्वयन से पूर्व एफटीयू एवं मैदानी अमले द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जायेगा। समिति के सदस्यों ने कहा कि बस्तियों के पास के क्षेत्र के साथ-साथ प्रवासी चरवाहों के चरागाह क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में बाड़ लगाने की आवश्यकता है। सदस्यों को आश्वासन दिया गया कि संवेदनशील बिंदुओं का ध्यान रखा जाएगा और कांटेदार तार की बाड़ लगाने की सिफारिश की जाएगी ताकि वृक्षारोपण क्षेत्रों में चराई की घटनाएं कम से कम हों। सदस्यों ने आश्वासन दिया कि वे अपने घरेलू मवेशियों को बिना परिचारक के खुले में चरने के लिए नहीं छोड़ेंगे, जिससे बंद क्षेत्रों में रोपे गए पौधों को नुकसान हो सकता है। पहचाने गए भूखंडों पर विस्तार से चर्चा की गई और उपयोगकर्ता समूहों को सौंपा गया। इसके अलावा, प्रतिभागियों ने प्रत्येक प्रजाति के लिए उठाए जाने वाले आइटम आधारित संरक्षण उपायों का सुझाव दिया।

पीएफएम मोड एवं एफडी मोड में किये जाने वाले कार्यों पर चर्चा कर अंतिम रूप दिया गया। उप-समिति द्वारा लगाये गये सभी वृक्षारोपण का संरक्षण उप-समिति द्वारा किया जायेगा। एफडी द्वारा तकनीकी कार्य, चिनाई/गेबियन चेक डैम, जल संचयन संरचनाएं बनाई जाएंगी। बायोइंजीनियरिंग संरचनाएं, छोटी नदियों पर सूखे पत्थर के चेक बांध, चिनाई वाले तालाब आदि का काम ग्रामीणों द्वारा किया जाएगा।

8.1.1 समझौता ज्ञापन

हिन्दी/स्थानीय भाषा में अनुवादित समझौता ज्ञापन (अंग्रेजी संस्करण) को उपस्थित सभी लोगों को पढ़कर सुनाया गया। सामुदायिक योगदान के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई और समुदाय के सदस्यों ने निम्नलिखित रूपों में अपने योगदान का सुझाव दिया: सभी उपयोगकर्ता समूह के सदस्य इस बात पर

सहमत हुए कि वे अपने बीएमसी उप समिति सदस्यता लाभार्थी हिस्से को बीएमसी उप समिति खाते में योगदान देंगे। सभी सदस्यों ने परियोजना गतिविधियों में अपने योगदान के लिए सहमति व्यक्त की और रुपये की सदस्यता शुल्क का योगदान करने का निर्णय लिया। 200. इसका भुगतान सिर्फ एक बार करना होगा. राशि को बीएमसी उपसमिति के खाते में रखा जाएगा और यदि बीएमसी उपसमिति के सदस्य चाहें तो इसे अन्य विभागों के साथ या परियोजना के साथ कोई अन्य विकास कार्य करने के लिए सामुदायिक हिस्सेदारी के रूप में उपयोग किया जा सकता है, अन्यथा वे परियोजना के पूरा होने के बाद इसका उपयोग कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीणों को कार्यों में स्वामित्व की भावना महसूस होनी चाहिए और इसके अलावा, उन्हें परियोजना के पूरा होने के बाद भी कई वर्षों तक वन क्षेत्र/परिसंपत्तियों का रखरखाव और सुरक्षा करनी होगी। माइक्रो प्लान को अंततः बीएमसी उपसमिति के जनरल हाउस द्वारा अनुमोदित किया गया था (कार्यवाही रजिस्टर में विवरण लिखा गया है और एमओयू पर बीएमसी उपसमिति के अध्यक्ष और डीएफओ स्पीति द्वारा हस्ताक्षरित एमओयू भी इस दस्तावेज़ में संलग्न है)।

8.1.2 सूक्ष्म योजना के कार्यान्वयन के लिए लाभार्थी बीएमसी उपसमिति को परियोजना सहायता

ग्राम स्तरीय संगठन निम्नलिखित के लिए PIHPFEM&L परियोजना का लाभार्थी होगा:

- वित्तीय सहायता

अनुमोदित सूक्ष्म योजना का कार्यान्वयन

श्रम मजदूरी: सामुदायिक योगदान को छोड़कर बाड़ लगाने, गड्ढे खोदने, गाड़ी चलाने, रोपण, निराई, पौधों की मल्लिचंग के लिए

अन्य काम: अनुमोदित सूक्ष्म योजना के अनुसार (सभी वेतन का भुगतान बीएमसी द्वारा चेक या बैंक हस्तांतरण द्वारा किया जाना है। कोई नकद लेनदेन की अनुमति नहीं है)।

सीडीए: बीएमसी उपसमिति द्वारा पहचानी गई और परियोजना दिशानिर्देशों के अनुरूप सामुदायिक विकास गतिविधियों का निर्णय और कार्यान्वयन बीएमसी उपसमिति द्वारा एक परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

रखरखाव: वर्षों से एमपी के बागानों में बीटिंग ऑपरेशन, निराई-गुड़ाई। 5 वर्षों तक बाड़ का रखरखाव।

स्टॉक और सामग्री:

- I. स्टॉक: गणवत्तापूर्ण नर्सरी में उगाए गए पौधे
- II. सामग्री जैसे, बी. तार, यू. कीलें, बाड़ पोस्ट, टार/काला जापान आदि।

अचल:कार्यालय को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए स्टॉप, स्टॉप पैड, रजिस्टर, रसीद बुक, कार्बन पेपर, पेपर पिन, रिज़ॉल्यूशन पैड, पेन, पेंसिल, डेयरी, कुर्सियाँ, टेबल, अलमारी आदि सहित बीएमसी उपसमिति को स्टेशनरी।

8.2 वृक्षारोपण हेतु गतिविधियाँ

वृक्षारोपण क्षेत्र: 1.42 हेक्टेयर

वृक्षारोपण मानदंड: 1100 सामान्य पौधे/हेक्टेयर



एस.एन.	गतिविधि	एचएच को लाभ	कवर किया जाने वाला क्षेत्र (हेक्टेयर)				
			2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28
1	वनरोपण @1100 पौधे/हेक्टेयर सामान्य वृक्षारोपण	पूरा समुदाय	-	1.42 हे (अग्रिम कार्य एवं वृक्षारोपण)	रखरखाव	रखरखाव	रखरखाव

8.3 रोपण सामग्री की आवश्यकताएँ

वर्ष	आवश्यक पौधों की संख्या	रोपण सामग्री का स्रोत
	हिप्पोफे रमनोइड्स (सी बकथॉर्न)	

	नया	रखरखाव	
2023-24	-	-	शेगो/शिचलिंग नर्सरी
2024-25	1562		-करना-
2025-26		469(30% नये)	-करना-
2026-27		312(नए0 का 20%	-करना-
2027-28		156(10% नये)	-करना-
कुल	1562	937	

8.4 वन संरक्षण/वन संवर्धन/वृक्षारोपण के लिए रखरखाव कार्य

साल	साइट पर की जाने वाली गतिविधियां		ज़िम्मेदारी	
			परियोजना	उपसमिति
	लारी (कुल वृक्षारोपण क्षेत्र = 1.42 हेक्टेयर)			
2023-24	-	-	हाँ	हाँ
2024-25	पेड़ लगाना (1562 पौधे)		हाँ	हाँ
2025-26	-	रखरखाव (30% पिटाई)	हाँ	हाँ
2026-27	-	रखरखाव 20% पिटाई)	हाँ	हाँ
2027-28	-	रखरखाव 10% पिटाई)	हाँ	हाँ

8.5 पीएफएम के तहत वृक्षारोपण गतिविधितरीका

साल	साइट पर की जाने वाली गतिविधियां		ज़िम्मेदारी	
			परियोजना	उपसमिति
	लारी (कुल वृक्षारोपण क्षेत्र = 1.42 हेक्टेयर)			
2023-24	-	-	हाँ	हाँ
2024-25	पेड़ लगाना (1562 पौधे)		हाँ	हाँ
2025-26	-	रखरखाव (30% पिटाई)	हाँ	हाँ
2026-27	-	रखरखाव 20% पिटाई)	हाँ	हाँ

2027-28	-	रखरखाव 10% पिटाई)	हाँ	हाँ
---------	---	-------------------	-----	-----

8.6 मृदा एवं जल संरक्षण

8.6.1 मृदा एवं जल संरक्षण कार्य (प्रस्तावित)

एस.एन.	एसडब्ल्यूसी कार्य का प्रकार	कार्य की इकाई	कार्य की मात्रा	एचएच लाभार्थी	ज़िम्मेदारी		
					परियोजना	उप समिति	अभिसरण
1	सूखे पत्थर की चेक दीवारों का निर्माण (30mx1.2mx1m)	नहीं।	2	पूरा समुदाय	वित्त	कार्यान्वयन एवं प्रबंधन	

8.6.2 मृदा एवं जल संरक्षण कार्य (वर्षवार भौतिक लक्ष्य)

एस.एन.	एसडब्ल्यूसी कार्य का प्रकार	कार्य की इकाई	कार्य की मात्रा	एचएच लाभार्थी	एसडब्ल्यूसी गतिविधियों के लिए भौतिक लक्ष्य				
					2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28
1	सूखे पत्थर की चेक दीवारों का निर्माण (30mx1.2mx1m)	नहीं।	2	पूरा समुदाय	0	0	2	0	0

8.7 भौतिक एवं वित्तीय योजना (एफईएमपी)

8.7.1 प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय योजना

एस. एन.	प्रस्तावित गतिविधि	इकाई लागत	2023-24		2024-25		2025-26		2026-27		2027-28		कुल	
			फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत
1	नये वृक्षारोपण													
ए	1100 सामान्य पौधे/हेक्टेयर की दर से वनीकरण	68,600/हे	0	0	1.42	97,412	0	0	0	0	0	0	1.42	97,412
ए	कुल नये वृक्षारोपण (ए)				1.42	97,412							1.42	97,412
		इकाई लागत	2023-24		2024-25		2025-26		2026-27		2027-28		कुल	
ए	वनरोपण @1100 सामान्य पौधे/हेक्टेयर (रखरखाव)		फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत
में	प्रथम वर्ष रखरखाव। (6250/हे.)	10,000					1.42	14,200					1.42	14,200
द्वितीय	द्वितीय वर्ष रखरखाव (4250/हेक्टेयर)	6,700							1.42	9,514			1.42	9,514
तृतीय	तृतीय वर्ष रखरखाव (3200/हेक्टेयर)	5,100									1.42	7,242	1.42	7,242
चतुर्थ	4th year maint.(2200/ha)	3,500												
में	5वां वर्ष रखरखाव (2200/हेक्टेयर)	3,500												
	कुल (बी)						1.42	14,200	1.42	9,514	1.42	7,242	1.42	30,956
	उप योग (ए+बी)							14,200		9,514		7,242		1,28,368
एस. एन.	प्रस्तावित गतिविधि	इकाई लागत	2023-24		2024-25		2025-26		2026-27		2027-28		कुल	
	एसएमसी ट्रेनिंग		फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत
1.	एसएमसी कार्य (समोच्च खाड़ियों की तैयारी)	15,750/हे			1.42	22,365							1.42	22,365
	मृदा एवं जल संरक्षण		फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत
1.	सूखे पत्थर की चेक दीवारों का निर्माण (30mx1.2mx1m)	1,00,000					2	2,00,000					2	2,00,000
	कुल (सी)				1.42	22,365	2	2,00,000						2,22,365

	कुल योग (ए+बी+सी+)				1,19,777	2,14,200	9,514	7,242	3,50,733
--	--------------------	--	--	--	----------	----------	-------	-------	----------

8.7.2 2024-2025 के लिए वार्षिक कार्य योजना


एस.ए.न	प्रस्तावित गतिविधि	एचएच को लाभ	कार्य की इकाई	कार्य की मात्रा	इकाई लागत (रु.)	प्रस्तावित बजट	वित्तीय स्रोत		
							परियोजना	अभिसरण	सामुदायिक योगदान
नये वृक्षारोपण									
1	1100 सामान्य पौधे/हेक्टेयर की दर से वनीकरण	संपूर्ण समुदाय	हा	1.42	68,600	97,412	परियोजना		प्रबंध
कुल						97,412			
मृदा एवं जल संरक्षण									
1.	समोच्च खाइयाँ	संपूर्ण समुदाय	हा	1.42	15,750	22,365			
2	सूखे पत्थर की चेक दीवारों का निर्माण (30mx1.2mx1m)	संपूर्ण समुदाय	नहीं।	2	1,00,000	2,00,000			
कुल						2,22,365			
उप योग						3,19,777			

9. इस परियोजना के अंतर्गत सातोयामा का संक्षिप्त दृष्टिकोण

सातोयामा एक पारंपरिक जापानी अवधारणा है जो ग्रामीण परिदृश्य के प्रबंधन के लिए एक अद्वितीय और टिकाऊ दृष्टिकोण को संदर्भित करती है। शब्द "सातोयामा" का शाब्दिक अर्थ "सातो" (गांव) और "यम" (पर्वत) है, जो मानव बस्तियों और आसपास के प्राकृतिक वातावरण के सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को दर्शाता है। सातोयामा परिदृश्य की विशेषता कृषि, वानिकी और जैव विविधता के संरक्षण के बीच एक संतुलित संबंध है।

यहां सातोयामा के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी दी गई है:

1. पारिस्थितिक सद्भाव: सातोयामा परिदृश्य मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक दुनिया के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यह संतुलन टिकाऊ कृषि पद्धतियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसमें फसल की खेती, पशुधन पालन और वानिकी शामिल है।
2. जैव विविधता संरक्षण: सातोयामा क्षेत्रों में अक्सर विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों की प्रजातियों के साथ विविध पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। स्थानीय समुदाय इन पारिस्थितिक तंत्रों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो वन्यजीव और मानव दोनों की जरूरतों का समर्थन कर सकते हैं।
3. सांस्कृतिक महत्व: सातोयामा परिदृश्य जापानी संस्कृति और इतिहास में गहराई से निहित हैं। वे अक्सर पारंपरिक कृषि पद्धतियों, त्योहारों और सामुदायिक गतिविधियों से जुड़े होते हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं।
4. समुदाय की भागीदारी: सातोयामा क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यह भागीदारी मानवीय गतिविधियों और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने में जिम्मेदारी और गर्व की भावना को बढ़ावा देने में मदद करती है।
5. आर्थिक स्थिरता: सातोयामा परिदृश्यों का स्थायी प्रबंधन न केवल पर्यावरण और संस्कृति का समर्थन करता है बल्कि ग्रामीण समुदायों की आर्थिक भलाई में भी योगदान देता है। यह खेती, वानिकी और संबंधित उद्योगों में लगे लोगों को आजीविका प्रदान करता है।
6. चुनौतियाँ: उनके महत्व के बावजूद, कई सातोयामा परिदृश्यों को शहरीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी कम होने और भूमि उपयोग में बदलाव के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन मूल्यवान परिदृश्यों की सुरक्षा और पुनर्जीवित करने के लिए संरक्षण प्रयास और नीतियां लागू की जा रही हैं।



सतोयामा पहल का योजनाबद्ध आरेख

सतोयामा एक प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में कार्य करता है कि कैसे मनुष्य पारिस्थितिक और सांस्कृतिक विविधता दोनों को बनाए रखते हुए प्रकृति के साथ सद्भाव में रह सकते हैं। यह भूमि उपयोग और संरक्षण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है जो दुनिया भर में सतत विकास और पर्यावरण प्रबंधन के लिए मूल्यवान सबके प्रदान कर सकता है।

हिमाचल प्रदेश के वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका में सुधार के लिए जेआईसीए (जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी) परियोजना में सतोयामा अवधारणा के कार्यान्वयन में क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ और जरूरतों के लिए सतोयामा के सिद्धांतों को लागू करना शामिल होगा। यहां बताया गया है कि इसे कैसे लागू किया जा सकता है और यह महत्वपूर्ण क्यों है:

कार्यान्वयन:

1. मूल्यांकन और योजना: यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के वन पारिस्थितिकी तंत्र की वर्तमान स्थिति और उन पर निर्भर समुदायों की आजीविका के व्यापक मूल्यांकन के साथ शुरू होगी। यह मूल्यांकन उन क्षेत्रों की पहचान करेगा जहां सातोयामा दृष्टिकोण प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।
2. सामुदायिक व्यस्तता: स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ना सतोयामा का एक मूलभूत पहलू है। परियोजना निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में समुदायों को शामिल करेगी, यह सुनिश्चित करेगी कि उनके पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं को संरक्षण और आजीविका सुधार प्रयासों में एकीकृत किया जाए।
3. सतत वन प्रबंधन: हिमाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण वन संसाधन हैं। चयनात्मक कटाई और पुनर्वनीकरण जैसी स्थायी वानिकी प्रथाओं को लागू करना, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और वन उत्पादों की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
4. जैव विविधता संरक्षण: वन पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जैव विविधता की रक्षा और वृद्धि के प्रयास किए जाएंगे। इसमें संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना और आवास बहाली प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है।
5. कृषि पद्धतियाँ: पारंपरिक सातोयामा परिदृश्यों की तरह, यह परियोजना टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा दे सकती है जो पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती हैं, जैसे कि जैविक खेती और कृषि वानिकी।
6. आजीविका विविधीकरण: यह मानते हुए कि समुदाय अक्सर अपनी आजीविका के लिए गतिविधियों के संयोजन पर निर्भर होते हैं, परियोजना आय स्रोतों के विविधीकरण का समर्थन कर सकती है, जैसे कि पारिस्थितिक पर्यटन, कुटीर उद्योगों और गैर-लकड़ी वन उत्पाद कटाई को बढ़ावा देना।
7. क्षमता निर्माण: स्थानीय समुदायों को अपने संसाधनों को स्थायी रूप से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम आवश्यक होंगे।
8. पारंपरिक मूल्यों: हिमाचल प्रदेश में स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के पास कृषि, वानिकी और संसाधन प्रबंधन से संबंधित मूल्यवान पारंपरिक ज्ञान है। सातोयामा पहलू का लक्ष्य इस ज्ञान को टिकाऊ प्रथाओं में संरक्षित और एकीकृत करना है।

हिमाचल प्रदेश में सातोयामा पहल के लिए तर्कसंगत की तुलना

जापान	HIMACHAL PRADESH
<ul style="list-style-type: none"> कुल भौगोलिक क्षेत्र का 68% भाग वनाच्छादित है। 	<ul style="list-style-type: none"> कुल भौगोलिक क्षेत्र का 27.72% भाग वन के अंतर्गत है।
<ul style="list-style-type: none"> अधिकतम वन भूमि निजी स्वामित्व में है 	<ul style="list-style-type: none"> अधिकतम वन क्षेत्र सरकारी है
<ul style="list-style-type: none"> प्राकृतिक संसाधनों की कमी जनसंख्या कम होने और प्राकृतिक संसाधनों (वनों) के कम उपयोग के कारण होती है 	<ul style="list-style-type: none"> प्राकृतिक संसाधनों की कमी वन संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण होती है
<ul style="list-style-type: none"> ग्रामीण आबादी का शहरी क्षेत्रों में प्रवास 	<ul style="list-style-type: none"> शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है
<ul style="list-style-type: none"> इसका उद्देश्य वनों का प्रबंधन करने के लिए लोगों को वनों की ओर वापस लाना है 	<ul style="list-style-type: none"> इसका उद्देश्य वन संसाधनों के स्थायी प्रबंधन के लिए मानव इंटरफेस को सक्षम करना और गांवों से शहरी क्षेत्रों में लोगों के प्रवास को कम करना है

महत्व:

1. जैव विविधता का संरक्षण: हिमाचल प्रदेश में सातोयामा दृष्टिकोण को लागू करने से इसकी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने, लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करने और क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को संरक्षित करने में मदद मिलेगी।
2. सतत संसाधन प्रबंधन: हिमाचल प्रदेश के जंगल प्रकृति और स्थानीय समुदायों दोनों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण हैं। सतत संसाधन प्रबंधन वन उत्पादों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा और वनों की कटाई और पर्यावरणीय क्षरण से रक्षा करेगा।
3. सामुदायिक सशक्तिकरण: निर्णय लेने और संसाधन प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल करने से उन्हें अपने पर्यावरण का स्वामित्व लेने का अधिकार मिलता है, जिससे अधिक प्रभावी संरक्षण और बेहतर आजीविका होती है।
4. सांस्कृतिक संरक्षण: यह परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्वदेशी समुदायों की सांस्कृतिक और पारंपरिक प्रथाओं को संरक्षित करने में मदद करेगी, जो अक्सर उनके प्राकृतिक पर्यावरण से निकटता से जुड़ी होती हैं।
5. जलवायु लचीलापन: सातोयामा प्रथाएं अक्सर जलवायु परिवर्तन के प्रति पारिस्थितिक तंत्र की लचीलापन बढ़ाती हैं, जिससे क्षेत्र भविष्य की पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए बेहतर रूप से तैयार हो जाता है।

6. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: हिमाचल प्रदेश में सातोयामा अवधारणा को लागू करके, भारत स्थायी भूमि प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान विनिमय को बढ़ावा देने में जापान के अनुभव और विशेषज्ञता से लाभ उठा सकता है।

संक्षेप में, हिमाचल प्रदेश के वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका में सुधार के लिए जेआईसीए परियोजना में सातोयामा अवधारणा को लागू करना सतत विकास और संरक्षण को बढ़ावा देते हुए क्षेत्र में लोगों और प्रकृति की जरूरतों को संतुलित करने का बड़ा वादा करता है।

समस्या विश्लेषण एवं समाधान

समस्याओं और वैज्ञानिक समाधानों का विश्लेषण किया

एस न हीं	समस्याओं की पहचान की गई	पहचानी गई समस्याओं का औचित्य	समस्याओं का विस्तार	अनुशंसित समाधान
1	निकटवर्ती वन क्षेत्र से औषधीय पौधों और चारे की घटती उपलब्धता।	सीमित वन क्षेत्र के कारण अत्यधिक दोहन और अत्यधिक चराई समस्या का कारण बनती है	गंभीर	सामुदायिक दृष्टिकोण के माध्यम से पुष्प विविधता का संरक्षण। वृक्षारोपण कार्यक्रम.
2	कम नमी प्रतिधारण/पानी की कमी	क्षेत्र में वर्षा होती है इसलिए सीमित जल संसाधन इन समस्याओं का कारण बनते हैं।	गंभीर	जल संचयन संरचनाओं का निर्माण.
3	मिट्टी का कटाव	ग्लेशियर पिघलने और हवा के कारण.	मध्यम	कंटूर ट्रेचिंग, चेक डैम/क्रेट दीवारों का निर्माण
4	पेयजल की अपर्याप्त आपूर्ति	कड़ाके की ठंड के कारण जब तापमान -25 से नीचे पहुंच जाता है तो पीने का पानी उपलब्ध नहीं है	गंभीर	इस मुद्दे को सरकारी एजेंसियों द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए।
5	खाद्य/मूल्य संवर्धित उत्पादों का विपणन	मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों के लिए कोई विपणन रणनीति नहीं।	मध्यम	इन समस्याओं के समाधान के लिए क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण/कार्यशालाएँ आवश्यक हैं जिनका नेतृत्व कृषि/बागवानी विभाग को करना चाहिए।

6	उर्वरक/बीज/FYM	क्षेत्र के सुदूर होने के कारण	गंभीर	इस मुद्दे को सरकारी एजेंसियों द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए।
7	परिवहन	कठिन भूभाग	गंभीर	

अनुमानित समस्याएँ और समाधान

ए स। न हीं	प्रमुख हितधारकों	हितधारकों द्वारा पहचानी गई प्रमुख समस्याएं	एचएच और/या प्रभावित क्षेत्र की संख्या	समस्याओं के गंभीर कारण	अनुमानित समाधान
1	औरत	कम आय, चारे और ईंधन की लकड़ी से संबंधित समस्याएं, सामुदायिक विकास गतिविधियों में भागीदारी के लिए समान अधिकार नहीं	40	शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव	महिलाओं/लड़कियों के लिए शिक्षा, सामुदायिक गतिविधियों में समान भागीदारी, एसएचजी और महिला मंडल के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता विकास।
2	वेतन- श्रम	कोई उचित/वादा किया हुआ रोजगार नहीं,	4	रोजगार सृजन की गतिविधियां ज्यादा नहीं	कृषि गतिविधियों/निर्माण कार्य एवं अन्य विभागों में रोजगार की संभावना
3	किसान	पानी की कमी, कृषि उत्पादों का उचित विपणन न होना, उन्नत	46	वर्षा आधारित कृषि, कठिन भूभाग, लंबी और कठोर सर्दियाँ, कृषि/बागवानी विभाग से अधिक सहायता नहीं	जल संचयन गतिविधियाँ, वृक्षारोपण गतिविधियाँ, जैविक खाद तैयार करने पर

	बीज और उर्वरकों की कम उपलब्धता।			क्षमता निर्माण कार्यक्रम और वैज्ञानिक/जलवायु लचीली कृषि
--	---------------------------------	--	--	---

सातोयामा गतिविधियाँ

9.1 सातोयामा गतिविधियाँ

एस. एन.	गतिविधि	गतिविधि का उद्देश्य	एचएच को लाभान्वित किया जाएगा	सामुदायिक योगदान
1	सिंचाई नहर/200 मीटर का निर्माण एवं हेड मरम्मत।	सेब के बगीचों और कृषि भूमि के लिए सिंचाई	पूरा समुदाय	10%
2	पुराने टैंक/15 क्यूब.मी. का पुनर्निर्माण	सेब के बगीचों और कृषि भूमि के लिए सिंचाई	पूरा समुदाय	10%
3	सार्वजनिक कूड़ेदान (सूखा एवं गीला)/नहीं।	पर्यटक क्षेत्र की स्वच्छता/सौन्दर्यीकरण हेतु	पूरा समुदाय	10%
4	पशुओं के लिए मूंगा	हिम तेंदुओं और जंगली कुत्तों से पशुधन की सुरक्षा	पूरा समुदाय	रखरखाव
5	सौर स्नान	सर्दियों के दौरान गर्म पानी उपलब्ध कराना	पूरा समुदाय	रखरखाव
6	जंगली कुत्तों की नसबंदी	जंगली कुत्तों की जनसंख्या पर नियंत्रण रखें	पूरा समुदाय	रखरखाव
7	कुत्ता पकड़ने वालों को प्रोत्साहन	जंगली कुत्तों की जनसंख्या पर नियंत्रण रखें	पूरा 8 समुदाय	रखरखाव
8	वन्यजीवों से फसल क्षति सुरक्षा पर उन्मुखीकरण कार्यशाला	वन्यजीवन क्षति से फसलों की सुरक्षा पर जागरूकता फैलाना	पूरा समुदाय	रखरखाव

- यदि आवश्यक हुआ तो पीएमयू/डीएमयू/एफटीयू और संबंधित विभागों के इनपुट के साथ बीएमसी उपसमिति द्वारा विस्तृत अनुमान योजना तैयार की जाएगी।
- समुदाय से श्रम, सामग्री और नकदी के रूप में गतिविधि लागत में योगदान की अपेक्षा की जाएगी।
- बीएमसी उपसमिति निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की मासिक निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण और बनाई गई सामुदायिक संपत्तियों के रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी।
- सामुदायिक संपत्तियों के प्रदर्शन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए पीएमसी द्वारा दिशानिर्देश विकसित किए जाएंगे।

9.1.1 सातोयामा गतिविधियों का भौतिक और वित्तीय विवरण

एस.एन.	प्रस्तावित गतिविधियाँ	इकाई लागत	2023-24		2024-25		2025-26		कुल इकाई	कुल है. लागत
			इकाई	अनुमानित लागत रु.)	इकाई	अनुमानित लागत रु.)	इकाई	अनुमानित लागत रु.)		
1	सिंचाई नहर/200 मीटर का निर्माण एवं हेड मरम्मत।	750/मी					200 मीटर	1,50,000	200 मीटर	1,50,000

2	पुराने टैंक/15 क्यूब.मी. का पुनर्निर्माण	50,000 एल/एस					1	50,000	1	50,000
3	सार्वजनिक कूड़ेदान (सूखा एवं गीला)/नहीं।	15,000					5	75,000	5	75,000
4	पशुओं के लिए मूंगा	15000	-	-	7	1,05,000	7	1,05,000	14	2,10,000
5	सौर स्नान	15000	5	75000					5	75000
6	जंगली कृत्तों की नसबंदी	100000					एल/एस	2,00,000	एल/एस	2,00,000
7	कुत्ता पकड़ने वालों को प्रोत्साहन	10000					10	1,00,000	10	1,00,000
8	वन्यजीवों से फसल क्षति सुरक्षा पर उन्मुखीकरण कार्यशाला	10,000			1	10,000			1	10,000
	कुल					75,000		1,15,000		6,80,000
										8,70,000

9.2 आजीविका सुधार/आय सृजन गतिविधियाँ (आईजीए)

एस. एन.	गतिविधि	कवर किए जाने वाले/लाभदायक परिवारों की संख्या एसएचजी की संख्या	कवर किए जाने वाले सदस्य		मुख्य इनपुट की उपलब्धता (हाँ/नहीं)				अपेक्षित निधि (रुपये)	अपेक्षित लाभप्रदता (रु.)	लाभार्थी योगदान (%)
			पुरुष	महिला	कौशल	कच्चा माल	तकनीकी	बाज़ार			
1	कृषि/बागवानी फसलों की खेती और प्रसंस्करण पर क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण	पूरा समुदाय	पूरा समुदाय	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	2,00,000		10%	
	कुल							1,00,000			

- सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया के दौरान उभरी प्रमुख आजीविका गतिविधियों में एसएचजी के लिए हाथ से बुनाई/खादी के साथ-साथ मशरूम की खेती, फल प्रसंस्करण, संरक्षण और मूल्यवर्धन शामिल हैं।
- आजीविका गतिविधियाँ स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से क्रियान्वित की जाएंगी।
- एसएचजी में 8-20 सदस्य होंगे।
- रुपये की नियमित समूह बचत के अलावा, रिवाँल्विंग फंड के लिए 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। एसएचजी को बैंकों से जोड़ने पर फोकस रहेगा
- बैंक एसएचजी की बचत और जमा का 3-4 गुना ऋण देने पर विचार कर सकते हैं
- प्रस्तावित आजीविका गतिविधियों की तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार किया जाएगा। प्रत्येक गतिविधि के लिए बिजनेस प्लान तैयार किया जाएगा।
- वार्ड स्तर पर आजीविका सुधार योजना को खरीद, विपणन और तकनीकी सलाह के लिए क्लस्टर से जोड़ा जाएगा।
- दिशानिर्देश विकसित किए जाने हैं आजीविका सुधार गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए पीएमसी द्वारा।

9.3 आजीविका सुधार और आय सृजन गतिविधियों का प्रस्तावित भौतिक और वित्तीय कवरेज

एस .एन	गतिविधि	लक्ष्य समूह	इकाई लागत	2023-24		2024-25		2025-26		कुल	
	आजीविका सुधार और आय सृजन गतिविधियों का प्रस्तावित भौतिक और वित्तीय कवरेज			फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत
1	कृषि/बागवानी फसलों की खेती और प्रसंस्करण पर क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण	पूरा समुदाय	1,00,000					1	1,00,000	1	1,00,000
कुल					.				-		1,00,000

9.4 एसएचजी का गठन

वर्ष	एसएचजी की संख्या	सदस्यों		
		पुरुष	महिला	कुल
2004				
2022-23				
2023-24	2			

बीएमसी उप समिति लारी में 2 एसएचजी का गठन किया जाएगा।

9.5 सामुदायिक विकास एवं आजीविका सुधार हेतु वार्षिक कार्य योजना (सीडी एवं एलआईपी)

एस. एन.	प्रस्तावित गतिविधि	स्वयं सहायता समूहों	लाभार्थी की संख्या	प्रस्तावित बजट	वित्तीय स्रोत		
					परियोजना	अभिसरण	सामुदायिक योगदान
	सामुदायिक विकास						
एक।	गांव के लिए सामान्य गौशाला का निर्माण	-	पूरा समुदाय	5,00,000	5,00,000	-	-
	कुल			5,00,000	5,00,000	-	-
	आजीविका में सुधार						
एक।	कृषि/बागवानी फसलों की खेती और प्रसंस्करण पर क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण		पूरा समुदाय	1,00,000	1,00,000	-	-
	कुल			1,00,000	1,00,000	-	-
	कुल			6,00,000	6,00,000	-	-

10. गतिविधियों की पहचान की गई

अन्य विभागों/परियोजनाओं/योजनाओं के सहयोग से की जाने वाली गतिविधियाँ सामुदायिक अवसंरचना विकास, बुनियादी मानव आवश्यकताएँ, कृषि और बागवानी, आईपीएच, जल शक्ति (अभिसरण के माध्यम से)

10.1 गतिविधियों की पहचान की गई और कार्यान्वयन एजेंसियां

एस.एन.	गतिविधियाँ	एचएच को लाभ होगा	क्रियान्वयन एजेंसी	प्रस्तावित बजट (रुपये)
1	वृक्षारोपण (वनरोपण @1100 सामान्य पौधे/हे.)	पूरा समुदाय	वन मंडल	97,412
2	नये वृक्षारोपण का रखरखाव	पूरा समुदाय	वन मंडल	30,956
3	समोच्च खाड़ियाँ	पूरा समुदाय	वन मंडल	22,365
4	ड्राई-स्टोन चेक दीवारों का निर्माण (30mx1.2mx1m)	पूरा समुदाय	वन मंडल	2,00,000
5	गांव के लिए सामान्य गौशाला का निर्माण	पूरा समुदाय	वन मंडल	5,00,000
6	सिंचाई नहर/200 मीटर का निर्माण एवं हेड मरम्मत।	पूरा समुदाय	वन मंडल	1,50,000
7	पुराने टैंक/15 क्यूब.मी. का पुनर्निर्माण	पूरा समुदाय	वन मंडल	50,000
8	सार्वजनिक कड़ेदान (सूखा एवं गीला)/नहीं।	पूरा समुदाय	वन मंडल	75,000
9	पशुओं के लिए मूंगा	पूरा समुदाय	वन मंडल	2,10,000
10	सौर स्नान	पूरा समुदाय	वन मंडल	75,000
11	जंगली कर्तों की नसबंदी	पूरा समुदाय	वन मंडल	2,00,000
12	कुत्ता पकड़ने वालों को प्रोत्साहन	पूरा समुदाय	वन मंडल	1,00,000
13	वन्यजीवों से फसल क्षति सुरक्षा पर उन्मुखीकरण कार्यशाला	पूरा समुदाय	वन मंडल	10,000
14	कृषि/बागवानी फसलों की खेती और प्रसंस्करण पर क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण	पूरा समुदाय	वन मंडल	1,00,000
	कुल			18,20,733

10.2 पहचानी गई गतिविधियों का प्रस्तावित भौतिक और वित्तीय कवरेज

एस.ए न.	गतिविधि	इकाई लागत	2023-24		2024-25		2025-26		2026-27		2027-28		कुल	
			फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत
1	पेड़ लगाना	68,600/हे			1.42हे	97,412							1.42हे	97,412
2	रखरखाव	10,000/हे कटेयर (1 अनुसूचित जनजाति द) 6,700/हे कटेयर (2 ^ग द) 5100/हे कटेयर (3 ^{तृतीय} द)					1.42 हे	14,200	1.42 हा	9,514	1.42 हे	7,242	1.42हे	30,956
3	समोच्च खाड़ियाँ	15,750			1.42हे	22,365							1.42हे	22,365
4	ड्राई-स्टोन चेक दीवारों का निर्माण (30mx1.2mx1m)	1,00,000			2	2,00,000							2	2,00,000
5	गांव के लिए सामान्य गौशाला का निर्माण		1	5,00,000									1	5,00,000

6	सिंचाई नहर/200 मीटर का निर्माण एवं हेड मरम्मत।	750/मी					200 मी	1,50,000					200 मी	1,50,000
7	पुराने टैंक/15 क्यूब.मी. का पुनर्निर्माण	50,000 एल/एस					1	50,000					1	50,000
8	सार्वजनिक कूड़ेदान (सूखा एवं गीला)/नहीं।	15,000					5	75,000					5	75,000
9	पशुओं के लिए मूंगा	15000			7	1,05,000	7	1,05,000					14	2,10,000
10	सौर स्नान	15000	5	75,000									5	75,000
11	जंगली कृत्तों की नसबंदी	100000					एल/एस	2,00,000					एल/एस	2,00,000
12	कुत्ता पकड़ने वालों को प्रोत्साहन	10000					10	1,00,000					10	1,00,000
13	वन्यजीवों से फसल क्षति सुरक्षा पर उन्मुखीकरण कार्यशाला	10,000			1	10,000							1	10,000
14	कृषि/बागवानी फसलों की खेती और प्रसंस्करण पर क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण	1,00,000			1	1,00,000							1	1,00,000

	कुल			5,75,000	5,34,777	6,94,200	9,514	7,242	18,20,733
--	-----	--	--	----------	----------	----------	-------	-------	-----------

11. कार्यान्वयन रणनीतियाँ

11.1 घटकों और उप-घटकों पर कार्यान्वयन दिशानिर्देश

- सहभागी वन प्रबंधन
- मृदा एवं जल संरक्षण/भूस्खलन नियंत्रण उपाय
- लिंग के आधार पर सामुदायिक विकास और आजीविका में सुधार
मुख्य धारा

11.2 सामुदायिक संस्थानों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (बीएमसी उपसमिति, एसएचजी)

संस्थान	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण के क्षेत्र	संसाधन व्यक्ति/समूह	एक्सपोजर विज़िट के लिए स्थान
बीएमसी-कार्यकारी समिति	लेखन जारी है खाता बनाए रखना परिसंपत्तियों की सूची बनाया था भूमिका एवं जिम्मेदारी	जेआईसीए स्टाफ/ वन मंडल कर्मचारी/सलाहकार	देहरादून, चम्बा, कांगड़ा, सोलन

	ईसी का		
स्वयं सहायता समूह	समूह निर्माण, खाता बनाए रखना, लेखन जारी है, बैंक संबंध आदि	नाबार्ड/मास्टर ट्रेनर	-

11.3 प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण योजना का वर्षवार विवरण

एस. एन.	वर्ष	सामुदायिक संस्था	प्रशिक्षण का विषय	प्रतिभागियों की संख्या	अवधि	संसाधन व्यक्ति/समूह
1	2023-24	बीएमसी उपसमिति (कार्यकारी समिति)	लेखन जारी है खाता को बनाए रखने भूमिका & ईसी की जिम्मेदारी लिंग समूह निर्माण और एसएचजी में अंतर-ऋण	7-15 (ईसी प्रतिनिधि)	दो दिन	मुख्य प्रशिक्षक एफडी अकाउंटेंट
2	2023-24	ईसी और एसएचजी प्रशिक्षण	एम एंड ई/सामाजिक लेखापरीक्षा	3-5	1 दिन	एफटीयू समन्वयक

			संपत्ति बनाई गई			
--	--	--	-----------------	--	--	--

11.4 सामुदायिक संस्थानों का वर्षवार प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण प्रस्तावित

प्रस्तावित गतिविधियाँ	इकाई	कुल		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26		2026-27	
		फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत
सामुदायिक संस्थानों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण													
उपसमिति (ईसी) प्रशिक्षण													
क) कार्यवाही खाता बनाए रखना	नहीं।	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
बी) भूमिका जिम्मेदारी, लिंग, संपत्ति बनाया था	नहीं।	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
ग) एम एंड ई और ऑडिट	नहीं।	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
उप योग		9	0	3	0	2	0	3	0	1	0	3	0
एसएचजी प्रशिक्षण													


क) समूह निर्माण, लेखन कार्य आगे बढ़ाना	नहीं।	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
बी) खाता रखरखाव, बैंक लिंकेज आदि	नहीं।	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
उप योग		4	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0

11.5 सामुदायिक संस्था द्वारा बनाए रखा जाने वाला रिकॉर्ड


एस. एन.	रखे जाने वाले रिकॉर्ड/रजिस्टर का नाम	किसके द्वारा रख-रखाव किया जाए	किसके द्वारा सत्यापित किया जाए
1	सदस्यता रजिस्टर, उपनियम और अन्य रिकॉर्ड	अध्यक्ष/सदस्य सचिव वीएफडीएस	एफटीयू अधिकारी/एफटीयू समन्वयक
2	कार्यवाही रजिस्टर	सदस्य सचिव वीएफडीएस/संयुक्त सचिव	एफटीयू समन्वयक
3	नकद खाता रजिस्टर एवं संबंधित पुस्तकें	कोषाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव	एफटीयू अधिकारी/एफटीयू समन्वयक
4	संपत्ति निर्मित रजिस्टर	अध्यक्ष, सचिव	एफटीयू/प्रोजेक्ट प्रतिनिधि

अनुबंध


अनुबंध- में
लारी बीएमसी उपसमिति का सामाजिक मानचित्र



अनुबंध- II
लारी बीएमसी उप समिति का संसाधन मानचित्र




अनुबंध- III
हवाई छवि मानचित्र: हस्तक्षेप क्षेत्र का सर्वेक्षण और मानचित्रण




माइक्रोप्लान: (बीएमसी उप-समिति - एलएआरआई) ने काजा और टेंज डब्ल्यूएल स्पिति वाइल्डलाइफ डिवीजन, स्पिति को हराया

अनुबंध- IV
समोच्च मानचित्र: हस्तक्षेप क्षेत्र का सर्वेक्षण और मानचित्रण




माइक्रोप्लान: (बीएमसी उप-समिति - एलएआरआई) ने काजा और टेंग डब्ल्यूएल स्प्रीति वाइल्डलाइफ डिवीजन, स्प्रीति को हराया

अनुबंध- V
भूमि उपयोग कवर मानचित्र: हस्तक्षेप क्षेत्र का सर्वेक्षण और मानचित्रण



माइक्रोप्लान: (बीएमसी उप-समिति - एलएआरआई) ने काजा और टेंज डब्ल्यूएल स्पिति वाइल्डलाइफ डिवीजन, स्पिति को हराया

अनुलग्नक VI वन आवरण मानचित्र: हस्तक्षेप क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं मानचित्रण



माइक्रोप्लान: (बीएमसी उप-समिति - एलएआरआई) ने काजा और टेंज डब्ल्यूएल स्पीति वाइल्डलाइफ डिवीजन, स्पीति को हराया



अनुबंध VII सामान्य सभा की कार्यवाही की प्रति:

Proceedings of the First General Body Meeting of the ^{Lahul} BMC Society held on 16/04/2021 in the forest Officer, forest guard, Gp Mobiliser Chhodon Zangmo, Panchyat Pardhan, Chairmanship / President of Urgain Tandup today on 18/4/2021 a meeting of general body of the proposed society was convened in the presence of following persons at Mane with a view to register a society under the provisions of Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006 for performing charitable and welfare activities:

क्र.सं.	नाम	पता	फोन नं.	हस्ताक्षर
1.	नरिन्दर सिंह	उप-प्रधान	94592-41995	[Signature]
2.	सुरेश कुमार	प्रधान	89198-92187	[Signature]
3.	विजय (उज्ज्वल)	सहायक अध्यक्ष	94597-21264	[Signature]
4.	मिर्जा जीवजी	पुत्र	94597-35395	[Signature]
5.	नरिन्दर सिंह	अध्यापक	76510-85187	[Signature]
6.	सोनी	सदस्य	94593-19210	[Signature]
7.	सोनी देवेंद्र	सदस्य	89880-36617	[Signature]
8.	देवेंद्र	सदस्य	94189-85542	[Signature]
9.	उज्ज्वल जीवजी	सदस्य	94189-63078	[Signature]
10.	सोनी देवेंद्र	सदस्य	78765-88105	[Signature]
11.	सुकुमार कुलकर्णी	सदस्य	89883-68419	[Signature]
12.	सोनी (उज्ज्वल)	सदस्य	94189-61723	[Signature]
13.	नरिन्दर देवेंद्र	सदस्य	94189-35542	[Signature]
14.	उज्ज्वल देवेंद्र	सदस्य	89883-58489	[Signature]
15.	पुनीप कुमार (Lgd)	सदस्य	94598-76617	[Signature]
16.	सोनी उप-प्रधान	सदस्य	9459104458	[Signature]

For the purpose, the members of the proposed society present unanimously elected Chairman/President for day Sh. Urgain Tandup and thereafter the following resolutions were unanimously passed:

Resolution No. 1.
The name of the society shall be BMC Sub-committee ^{Lahul} BMC Society.

Resolution No. 2.
The area of operation of the society shall be HP, Lahaul & Spiti District, Sub-Divisional Level 2

Resolution No. 3
The Office/Head Office of the society will be situated at V.P.O ^{Lahul} Tabo in Tehsil Spiti of Lahaul & Spiti district and its address will be C/O Urgain Tandup S/O Ram Gopal, Village Poh, P.O Tabo Tehsil Spiti, District Lahaul & Spiti, HP-172113.

Resolution No. 4.
The Management of the affairs of the Society will be entrusted by the Bye-laws/ Regulations of the Society to the Governing Body unanimously elected by the General body of the society today on 18/4/2021 and whose names, addresses and occupations are given below:

Sr. No	Name	Designation	Address	Occupation
1	Urgain Tandup	President	Village Poh.P.O Tabo Tehsil Spiti, District Lahaul & Spiti, HP-172113.	Farmer
2	TANZIN CHHAKDOR	Vice president	Village Poh.P.O Tabo Tehsil Spiti, District Lahaul & Spiti, HP-172113.	Farmer
3	Anjali	Secretary	Village Poh.P.O Tabo Tehsil Spiti, District Lahaul & Spiti, HP-172113.	Student
4	MEENA KUMARI	Member	Village Poh.P.O Tabo Tehsil Spiti, District Lahaul & Spiti, HP-172113.	House Wife
5	SONAM JANGCHUB	Member	Village Poh.P.O Tabo Tehsil Spiti, District Lahaul & Spiti, HP-172113.	Student
6	SONAM YOGDON	Member	Village Poh.P.O Tabo Tehsil Spiti, District Lahaul & Spiti, HP-172113.	House wife
7	DEVENDER SHARMA	Member	Village Panjalli Jamoli Arlot, 38 okharoo shimla Himachal Pradesh	Forest guard
8	Ramesh	Treasurer	Village Lari Post Office Tabo Tehsil Spiti District L&S Himachal Pradesh	Block Officer Forest
9	Tsering Dolma	Member	Village Poh.P.O Tabo Tehsil Spiti, 172113	Student

Resolution No. 5

President, Secretary and Treasurer are authorized to open and operate bank account of the proposed society.

Resolution No.6

All the members of the proposed society resolved to register a society under the provisions of H.P Societies Registration Act, 2006 for performing developmental, charitable and welfare activities. For the purpose, the draft Memorandum and Bye-laws have been read over carefully and adopted by all the members. All the members shall abide by these memoranda and bye-laws of the society.

Resolution No.7.

It is unanimously resolved to submit the Memorandum along with bye-laws of the society to the Registrar of Societies H.P for registration under the H.P Societies Registration Act, 2006. The President, Secretary and the Treasurer are, hereby, authorized to make any alteration/ 3 | P a g e deletion/addition and sign all the relevant documents of registration. The General Secretary of the

... is also authorized to submit all the documents of registration of society to Registrar and
... received the same after registration from Registrar. Certified that this is the true copy of proceedings
... passed by the general body meeting held on 18/4/2021 and is in safe custody of the general


President


Secretary


Treasurer

अनुलग्नक VIII
पंचायत संकल्प प्रति:

प्रस्ताव DATE:

(आज दिनांक 16.04.2021 को ग्राम पंचायत तथा
श्री गांव लरी में पंचायत प्रधान श्री शैल
द्वारा व ग्राम विभाग के अधिकारी द्वारा वन
रक्षक की आवश्यकता में लरी गांव के निवासी
Bmc Csub समूह का गठन किया गया।
इस गठन एवं सहमति से किया गया। वें 63
में निम्न जसक व्यवस्था की चुनी गया।

क्र.सं.	नाम	पद	संख्या	हस्ताक्षर
1.	तन्वी देवी	उप-प्रधान	94592-4995	
2.	सुभाष कुमार	प्रधान	82196-92187	BMC
3.	विश्व (गोपाल)	सुपुतसचिव	94597-27264	
4.	मिठा देवी	उप	94597-33395	Yoshi
5.	तन्वी देवी	ग्रामांगण	76510-85187	कमल देवी
6.	सनी	सदस्य	94593-19210	
7.	दामिनी देवी	सदस्य	89880-36617	दामिनी देवी
8.	दामिनी	सदस्य	94189-85542	दामिनी
9.	उरजान लाल	सदस्य	94189-63098	Ujjain
10.	सोनी देवी	सदस्य	78765-88105	Sonam Dandap
11.	सुकुमार कुमारी	सदस्य	89883-68419	सुकुमार
12.	दामिनी (उरजान)	सदस्य	94189-61723	दामिनी
13.	तन्वी देवी	सदस्य	94189-35542	तन्वी Chhotay
14.	उरजान देवी	सदस्य	89883-58489	
15.	पुदीप कुमार (Fgd)	सदस्य	94598-76614	
16.	सुभाष उप वन रक्षक	महासचिव	9459104458	
17.	पंचायत की ग्राम पंचायत			


 तारीख 16-4-21

अनुबंध IX
प्रमोटर सदस्यों से संयुक्त घोषणा

Have joined together and formed ourselves into a society namely BMC SUB COMMITTEE Lari and intend to get it registered under Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006 we solemnly affirm and declare as under.

1. That we the members are from different families and not running any other NGO with similar name.
2. That we are not convicted from any court of law and eligible to contract under section 11 of the Indian Contract Act, 1872.
3. That we shall have no objection to change or amend the above mentioned name, if in case any other society is found in existence with the similar name prior to this registration.
4. That the society shall abide by Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006 and rules made there – under and shall work for charitable or welfare causes.
5. That we the members shall be liable or responsible for all the consequences concerned to the society.

क्र.सं.	नाम	पता	संकेत
1	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.
2	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.
3	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.
4	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.
5	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.
6	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.
7	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.
8	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.
9	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.
10	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.
11	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.
12	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.
13	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.
14	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.
15	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.
16	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.
17	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.	श.स. श.स. श.स.


Secy. Sub

President Subodh.

Secretary. Chhimet

अनुलग्नक X

डीएमयू और अध्यक्ष बीएमसी उपसमिति के बीच समझौता ज्ञापन प्रति:



2.2. The Society agrees to provide all necessary assistance to the Forest Officer in selection of forest area(s) to be allotted to it for forest management and development so that there is no dispute regarding areas of common use of nearby villages.

2.3. The Society agrees to prepare and submit general house approved, quarterly physical & financial plans with budget requirements to FTU concerned for releasing funds after Plan's approval from PMU.

2.4. The Society agrees to identify Community Development Activities (CDAs) in conformity with the CDA guidelines, decide on these through a consultative process and implement them according to the relevant standards as applicable.

2.5. The Society agrees to carry out works laid out in the Plan for the forest area (such as planting, fencing, maintenance and protection) and in doing so, follow the principles of management of forest and wildlife specified therein, also taking into account the guidelines of the Government, prevalent legal provisions and technical principles. The Society will ensure that no existing acts/rules of forest/wildlife management are being violated.

2.6. The Society agrees to contribute membership fee through its members/user groups. The amount with interest will be available to VFDS/BMC (Sub-Committee) after project closure and can be used by VFDS/BMC (Sub-Committee) consensus. The amount deposition to be done within six months.

2.7. The Society agrees, after completion of the related works, to protect the forest area from fire, illicit grazing, illicit felling, illicit transport, illicit mining, encroachment and sand poaching and shall help the forest department in this regard.

2.8. The Society agrees to pass the information regarding person(s) engaged in harming the wild animals and forests or those engaged in illegal activities on to the Forest Department. The Society agrees to help forest employees in apprehending such person(s) and provide all possible assistance in protecting any seized produce etc.

2.9. The Society agrees to rectify any shortcomings found during review of its works by the Forest Officer/monitoring agency.

2.10. The Society agrees to keep accounts of income and expenditure of the funds from various sources and also to get regular annual audits done by the agency assigned by the Forest Officer.

2.11. The Society agrees to maintain the records specified by the project regularly and in prescribed formats.

2.12. The Society agrees that the distribution of products and services generated as a result of implementation of the Plan among its members/User Groups is done in an equitable manner. If the Forest Officer points out any mismanagement or irregularity in the equitable distribution of such products and services, then the Society agrees to implement the necessary corrections/improvement suggested by the Forest Officer.

2.13. Society agrees to ensure that there will be no mis utilization of funds provided by Forest Department for implementing project activities.

2.14. Society will open two accounts of VFDS/BMC (Sub-Committee), One for FEMP implementation (FE Account) and second one as; revolving fund under Livelihood activities



Memorandum of Understanding

Whereas,

the Village Forest Development Society/BMC Sub-Committee (hereinafter called "Society") has been constituted as per procedure described in the HP FPM Regulations notified by the Government of Himachal Pradesh on 15.01.2001 and the Village Forest Development Society/BMC Sub-Committee in district of Shimla, and Forest Officer, Shimla, of Himachal Pradesh and has entered into a Memorandum of Understanding with the Shimla Sub-Committee of the Japan International Cooperation Agency (JICA) supported "Project For Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management and Livelihoods" (herein after called "Project") and the Forest Officer, Shimla, of Himachal Pradesh and the Forest Officer, Shimla, of Himachal Pradesh (herein after called "Forest Officer") for Forest Management and Community Development (herein after called "Plan") for Forest Management and Community Development of the specified forest areas has been approved by the Officer in Charge of the Shimla Forest Division.

the Plan contains details of program for conservation, management and development of forest areas, Biodiversity conservation, Livelihood improvement works and also the description of activities and distribution of usufructs obtained from allocated forest areas and public usufructs of the forest areas. Here- in after called "Forest Officer") on behalf of Government of Himachal Pradesh;

Now here with this MoU, and consequently, this MoU is executed with the following articles:

1. Purpose of the Memorandum of Understanding

This Memorandum of Understanding (MoU) details the responsibilities of the Society and the Forest Officer in the management and protection of forest areas and Village(O) resource development, in the manner specified in the Plan.

2. Responsibilities of the Society

The Society shall be responsible for the implementation of the Plan in accordance with the HP Government Notification No. FFE-B-F (9) 1/2001 dated 23.8.2001 and

2.14. Society will open two accounts of VFDS/BMC (Sub-Committee), One for FEMP implementation (FE Account) and second one as; revolving fund under Livelihood activities (CD&LI Account).

2.15. The funds and maintenance of account would be in accordance with Para-36 to 43 of the Byelaws notified by Govt. on dated 19-11-2018 for VFDS/BMC under the Project.

3. Responsibilities of Forest Department

3.1. The Forest Department will provide to the Society the related input materials required to carry out the works specified in the Plan, such as saplings, fencing materials, etc. in a timely manner.

3.2. The Forest Department will provide the payments specified in the Plan to the Society for implementation of works carried out in the forest area on the basis of the Plan in a timely manner. The Society to prepare and submit general house approved, six monthly physical & financial plans with budget requirements to DMU through FTU concerned for release of funds. DMU to release the fund to the VFDS/BMC (Sub-Committee)

3.3. Funds from other department's schemes as the Panchayat may be able to garner/ converge, may also be used for activities that help meet the project's objectives.

3.4. The Forest Department shall provide the necessary advice and guidance to the Society for implementation of works carried out in the forest area on the basis of the Plan.

3.5. The Forest Department shall NOT be responsible for any loss in any of the works related to implementation of the Plan and no claim of any sort can be presented against Forest Department.

3.6. Forest Department will take legal action against any misappropriation of fund by VFDS/BMC (Sub-Committee).

4. Support by the Project

4.1. The Project will provide funds for Community Development & Livelihood activities (CDAs) identified by the Society and in conformity with the CD&LIP guidelines, which will be implemented by the Society.

4.2. The Project will provide to the Society if required the related input/materials required to carry out the works specified in the Plan, such as saplings, fencing materials, etc. in the required qualities and quantities.

4.3. The Project will provide to the Society the payments specified in the Plan for implementation of works carried out in the PFM area on the basis of the Plan.

4.4. The Project will provide to the Society members training and other capacity building measures, as well as support for income generating activities as specified in the Plan.

4.5. The funds ear marked for Plantations, soil and water conservation, Biodiversity conservation etc., will be credited into the VFDS/BMC (Sub-Committee) bank account

according to six-month plan requirement (prepared from Micro plan) of VFDS/BMC (Sub-Committee). In addition, VFDS/BMC (Sub-Committee) to open an account for Livelihood activities.

4.6. Payment and receipt of project funds will be strictly by means of cheques online payment/RTGS etc. or bank transfers to the account of the Society. Society will further distribute fund similarly.

5. Rights and Benefit Sharing

5.1. The **Rights** of right holders as admitted in the Forest Settlement will remain unaffected due to constitution of the Society and will continue to be exercised as heretofore.

5.2. The **Benefits** which Society members and their user groups will be entitled to after closure of plots / patches in the forest for various project interventions are as follows:

i) to collect the yield such as fallen twigs, branches, ~~loppings~~, grass, bamboos, fruits, flowers, seeds, leaf fodder and non- timber forests products free of cost through individual or collective arrangements as decided by the Society;

ii) to the sale proceeds of all intermediate harvest, subject to protection of forest and plantations for at least 3 years from the date of agreement;

iii) to organize and promote vocational activities related to forest produce and land; and other activities such as promotion of self-help groups which may provide direct benefits, including micro-lending to women. None of the activities so promoted shall affect the legal status of the forest land;

iv) recorded rights over the forest shall not be affected by these benefits;

v) after 5 years, the Society may expand the area, on the basis of a fresh agreement deed, by inclusion of adjoining or nearby areas;

vi) to utilize at least 40 percent of the sale proceeds on forest regeneration activities including soil and water conservation.

Provided that for the purpose of usufruct, the usufruct sharing family shall be one unit.

5.3 The Society will be entitled to their share of payments from intermediate and final felling, whenever they take place in this forest, as laid out in the PFM Regulations of HP, 2001.

6. Monitoring & Evaluation

6.1. Monitoring and Evaluation of project activities will be done at different levels, including by the EC, a participatory monitoring committee and an independent third party apart from Project authorities.

Memorandum of Understanding

We are aware that the benefits mentioned in this agreement shall be available to the Society only when it discharges its duties, responsibilities and works in a satisfactory manner and this is certified by the Forest Officer every year. However, if the Forest Officer fails to fulfil conditions mentioned in para 3 and 4 of this agreement and this is a cause for the Committee not able to discharge its responsibilities and works, then it will be kept in mind while evaluating the works of the Committee every year.

I, Surbhelli President, BMC (Sub-Committee), declare on behalf of the Society, that I am committed to follow all the conditions mentioned in this MoU and am signing this memo after reading/understanding all conditions mentioned herein, literally and in their original meaning.

President
B.M.C. Sub Committee
Surbhelli
(Name and Signature of the President)
On behalf of VFDS/BMC (Sub-Committee)

[Signature]
Divisional Forest Officer
Forest Division
(On behalf of HPFD)

Witnesses: Village Forest Development Society BMC (Sub-Committee)
and
The Forest Department for Participatory Forest Management.

1. Ashutosh Pathak
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

I, [Signature] (Divisional Forest Officer) undertake, on behalf of [Signature] Forest Department, to implement all duties/responsibilities of the Forest Department mentioned in this memorandum.

[Signature]
Divisional Forest Officer
On Behalf of
Division Forest Officer Forest
Himachal Pradesh
Spiti Wild Life Division (H.P.)
Kaza, Lahaul & Spiti
Department

अनुलग्नक
बीएमसी उपसमिति के पंजीकरण का प्रमाण पत्र

Registration No :



HPCD-6386

Certificate of Registration of Societies



Himachal Pradesh Societies Registration Act 2006 (Act No. 25 of 2006)

This is certified that the **BMC SUB COMMITTEE [LARI]** located at **VILLAGE LARI POST OFFICE TABO TEHSIL SPITI DISTRICT, L&S HIMACHAL PRADESH** has been registered under the provisions of the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006 (Act No. 25 of 2006) on the **3rd day of June 2022** (03/06/2022).

Given under my hand and seal at **SDM Office, Kaza, Himachal Pradesh.**



SDM -cum- Deputy Registrar of Societies
Spiti District,
District Lahaul & Spiti (H.P.)
Himachal Pradesh

अनुलग्नक XII
उपविधि की प्रति

THE BYE-LAWS

OF

The Lari Village Forest Development Society

Project for Improvement of HP Forest Ecosystems Management & Livelihoods

NAME, ADDRESS AND AREA OF OPERATION

1 The society shall be called the BMC sub Committee Lari Village Forest Development Society.

It shall be referred to here-in-after as the society.

- 2 The registered address of the society shall be C/O Subodh Kumar S/O Karjuit Chhopel Post Office Tabo Tehsil Spiti District Lahoul & Spiti Himachal Pradesh .
- 3 The area of operation of the society shall cover the following village/villages.

Definitions

- 4 In these by-laws, unless there is anything repugnant in the subject or context
- i "Act" means Indian Forest Act, 1927, (Act No.16 of 1927) as amended in its application to Himachal Pradesh;
- ii "Conflict Resolution Group" means a group consisting of representatives of the concerned Gram Panchayats, a representative of the local non-government organizations or local community based organizations, a representative from local/migratory community and the concerned Assistant Conservator of Forests/Forest official;
- iii "common land", "family", "Gram Panchayat", "Panch", "Pradhan", "Village" and "Ward" shall have the meanings respectively assigned to them in the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No.4 of 1994);
- iv CD & LIP: Community Development and Livelihood Improvement Plan refers to the plan activities that shall be included in the microplan to enhance community well being and resilience of household economy.
- v CIG: Common Interest Group refers to a group of persons who have a common interest in a particular Livelihood Improvement Activity.
- vi "Department" means the Himachal Pradesh Forest Department.

See.

[Signature]

*Resident
Subodh.*

*Secretary
Chhimet*

- viii. **"FEMP"**: Forest Ecosystems Management Plan refers to plan activities concerning forest and forest resource management that shall be included in the micro plan to address the issues related to the forest and forest areas that are managed by group members
- ix. **"Ecosystem approach"** as defined in Convention on Biological Diversity, 2004
- x. **"Forest Ecosystem Services (FES) approach"** is defined as the management of a particular forest ecosystem that aims to realise the best fit of combination of FES as demanded by Sub-Committee
- xi. **"Forest offence"** as defined in IFA, 1927.
- xii. **"Forest Officer"** means a Forest Officer as defined under sub-section (2) of section 2 of the Act;
- xiii. **"Executive Committee"** means executive body of Sub-Committee;
- xiv. **"General House"**, means General House of the Sub-Committee;
- xv. **"Government "** means Government of Himachal Pradesh;
- xvi. **"Grazier group"** means a group of persons, resident members or migratory graziers, who are dependent on the grazing resource in the selected area for meeting their livelihood needs;
- xvii. **"Micro-plan"** means a holistic forest management and development plan of the area selected for participatory management;
- xviii. **"participatory forest management"** means management of Government forest and Government land including common land managed Jointly by the Sub-Committee and by the Department;
- xix. **"right holders"** means an individual (s)/community or group as mentioned in record of right holders in settlement record / IFA 1927/FRA 2006
- xx. **"selected area"** means any Government Forest and Government land including common land selected under regulation 3 of these Regulations;
- xxi. **"self-help group"** means any organized group of persons, who collectively by mutual help are able to enhance their economic status through resource based activities;
- xxii. **"site specific plan"** means a sub component of the micro-plan which is a technically appropriate plan for the site;
- xxiii. **"Sub-Committee"** means the Village Forest Development Sub-Committee registered under section 6 of the H.P. Societies Registration Act,2006 for participatory forest management;

Prave

Subodh.

Chhimet

- xxiv. "sustainable forest management" means management which is economically viable, environmentally benign and socially beneficial, and which balances present and future needs; and
- xxv. "user group" means a group of persons dependent upon a common natural resource for sustaining its livelihood need.

OBJECTIVES

5. The objectives of the Sub-Committee shall be
- to manage and enhance the forest area ecosystems selected for participatory management by sustainable forest ecosystem management, biodiversity conservation and livelihoods improvement as desired by the Sub-Committee through a micro-planning process
 - to identify and set up requisite measures and enabling conditions that support participatory planning, effective implementation of activities mentioned in the micro plan and monitoring and evaluation processes that result in best utilization of resources
 - to undertake such other activities as are incidental to or conducive to the attainment of the above objectives in a sustainable manner.

MEMBERSHIP

6. Subject to the provisions of by-law 7, any individual shall be eligible for admission as a member of the Sub-Committee, if he is:
- over 18 years in age and of sound mind;
 - bonafide resident in the area of operation of Sub-Committee;
 - of good character; and
 - right holder (including landless right holders) according to revenue record
7. No individual shall be eligible for admission as a member of the Sub-Committee, if: -
- He/she has applied bankruptcy. Or
 - He/she has been declared as insolvent, Or
 - He/she has been sentenced for any offence; involving dishonesty or moral turpitude within 5 years preceding the date of his admission as a member.
8. A member may be expelled for one or more of the following reasons: -
- Ceasing to reside in the area of operation of Sub-Committee:



Subodh.

Chhima

- ii. Conviction of a criminal offence involving dishonesty or moral turpitude;
 - iii. Application for bankruptcy;
 - iv. An action which may be held by the general body to be dishonest or contrary to the interest, reputation and stated objects of the Sub-Committee.
9. A person shall cease to be member of the Sub-Committee in one or more of the following circumstances: -
- i. Death;
 - ii. Withdrawal after six months' notice to the Secretary of the Sub-Committee,
 - iii. Permanent insanity;
 - iv. Declaration of bankruptcy;
 - v. Ceasing to be a right holder in the Forest.

GENERAL BODY

10. All the members of the Sub-Committee on a given date shall constitute the General Body of the Sub-Committee. New members shall get their names registered in the Membership Register, with the Secretary.
11. The General Body of members of the Sub-Committee shall meet once in six months. A meeting of the General Body shall be convened by the Secretary of the Sub-Committee.
12. In case of an emergent situation, if 20% of the total members submit a requisition/application to the President, Vice-President or any member of the executive Committee, a meeting of the General Body shall have to be called within 7 days of such requisition / application.
13. The Secretary shall verbally or in written inform all the members at least 7 days in advance, specifying the date, place and time and agenda of the general meeting. The written information / notice of a general shall be affixed on the walls at least two conspicuous places, designated by the General Body itself.
14. The quorum of the meeting shall be two- third of the total number of members, out of which 50 % should mandatorily be female members.
15. The decisions in these meetings will be subject to. the will of the majority. The issues for discussion/decision shall be raised either verbally by the members in the meeting or by conveying the same in written to the Secretary. In the latter case, the issue shall be: raised by the Secretary and if desired so, the name of the member conveying the issue shall not be disclosed.



Subodh.

Chhinet

16. The President or, in his absence, the Vice-President shall preside over meetings of the General body. When both of them are absent, the members present shall elect a Chairperson for the meeting.
17. Every member of the General Body shall have one vote. Voting by proxies shall not be allowed at the general body. Unless otherwise provided in these by-laws, all questions shall be decided by a majority of votes of the members present. When the votes are equal, the Chairperson of the General Body shall have a casting vote.
18. Unless otherwise provided in these by-laws the ultimate authority in all matters relating to the administrations of the Sub-Committee shall vest in the General Body.
19. Without prejudice to the general provisions of the preceding by-law, the General Body shall have the following powers and duties:
 - i. to approve of the micro plan prepared by the joint forest management Sub-Committee for the management of forests under its jurisdiction, implementation of the project activities and sharing of the usufructs/benefits.
 - ii. to approve the amendments in by-laws framed for the Sub-Committee.
 - iii. the election, suspension, and removal and of the elected members of the Executive Committee.
 - iv. Amendments in the Micro plan. However, such amendments shall be valid subject to the approval by the concerned Divisional Forest Officer.
 - v. Transaction of any other business with the permission of the Chairperson of the general body;
20. Each member present at general meeting shall be entitled to exercise one vote only. The President shall have a casting vote.
21. All business discussed or decided at a general meeting shall be recorded in a proceeding register by the Secretary, which shall be signed by all the members at the end of the meeting.
22. A copy of the proceedings of the meeting shall be to the DFO, through the concerned Forest Guard/range Officer. Another copy shall be sent to the Gram Sabha.

EXECUTIVE COMMITTEE

23. Executive Committee shall consist of 7 to 16 members (depending upon the population). The constitution of Executive Committee of the Sub-Committee shall be as follows as per the HP Participatory Forest Management Rules:
 - i. **President** - to be elected by General House



- ii. **Vice President** - to be elected by General House
- iii. **Four Members** - to be elected by General House;
- iv. **Joint Secretary (woman)** - do
- v. **Ward Panch** - ex-officio member;
- vi. **President** - Mahila Mandal
- vii. **Representative** - Local women group -do
- viii. **Three Members** - to be co-opted from the village level committees constituted by other departments of the Government, societies register under the Societies Registration Act, 1860, (Act No.21 of 1860); forest/resource based user groups, self-help group and grazier group;
- ix. **Local Forest Guard/Guards** shall also be the members.
- x. **Member Secretary** - Member Secretary to be elected by General House.
- xi. **Treasurer** - The Concerned Deputy Ranger shall be Treasurer. In case of two or more Deputy Rangers, the senior most shall be Treasurer. There will be a joint account in the names of President and Treasurer. The said account will be operated jointly by both and the necessary cash book and other financial account, measurement of works will be recorded by Treasurer.

Provided that at least 50% members of the Executive Committee shall be women. The Joint Secretary shall assist the Member Secretary in the execution of his/her functions.

- 24. The elections of the Executive Committee shall be held every two years. The elected members of the Executive Committee shall hold once for a period of two years from the date of assumption of office.
- 25. The election shall be conducted through casting single ballot by the members of the General Body or by means of General Consensus amongst the members.
- 26. The members of the Executive Committee shall meet once every month.
- 27. The information regarding the meeting shall be given to the members by the Secretary well in time.
- 28. In emergent circumstances, the meeting of the Executive Committee shall be called on the verbal/written requisition of at least 3 members of this committee. Such meeting shall be called within 3 days of submission of such requisition to the Chairperson /Secretary of the Committee.



Subodh

Chhimet

29. The quorum of the meeting shall have to be two-third of the total number of members of the Executive Committee; only then the decisions taken in the meeting shall stand valid.
30. If the Chairperson of the meeting is a male, the vice-chairperson should be a female and viceversa.
31. Executive Committee shall have the following powers and duties: -
- To prepare a schedule for the activities enlisted in the micro plan, to be implemented by the Sub-Committee. The schedule shall include the specific distribution of funds and labour activity wise and the provision for monitoring and of the progress. The beneficiaries of a particular activity shall have to contribute in terms of labour. If the same is not possible, they shall be delegated the responsibility to supervise the progress of the on-going works.
 - To prepare a list of activities to be carried out and the corresponding budget every six months, and to get the same approved by the General Body.
 - Members of the Executive Committee shall carry out the inspection of the areas in question once in a month and shall impart necessary directions or take proper action in case any drawback/irregularity is found.
 - To take appropriate action under the relevant Act/Rules against an individual who violates any of the rules mentioned in the micro plans. The Executive shall summon such offender either in its meeting or in the General Body and shall initiate action against him/her as per the recorded procedure, in case the reply is not found satisfactory.
 - The Executive Committee shall not initiate any legal action against an individual without affording him/her an opportunity to be heard.
 - Executive Committee shall not carry out any change in the micro plan on its own.
 - The Executive Committee shall employ any person for a work/activity, mentioned in the schedule and shall disburse honorarium as per prescribed project norms for such work. The terms and conditions for the same shall be decided by the Executive Committee.
32. All business discussed or decided at a meeting of the Executive Committee shall be recorded in a proceeding register by the Secretary, which shall be signed by all the members at the end of the meeting.

Powers of the Executive Committee



Subcom.

Chhimer

33. The Executive Committee shall exercise the powers of a "Forest Officer" as assigned by the Government under the Act.

Usufruct Sharing

34. Sub-Committee shall be entitled to the following benefits, namely: -
- i. to collect the yield such as fallen twigs, branches, loppings, grass, bamboos, fruits, flowers, seeds, leaf fodder and non-timber forests products free of cost through individual or collective arrangements as decided by the Sub-Committee;
 - ii. to the sale proceeds of all intermediate harvest, subject to protection of forest and plantations for at least 3 years from the date of agreement;
 - iii. to organize and promote vocational activities related to forest produce and land; and other activities such as promotion of self-help groups which may provide direct benefits, including micro-lending to women. None of the activities so promoted shall affect the legal status of the forest land;
 - iv. recorded rights over the forest shall not be affected by these benefits;
 - v. the Government shall charge no royalty on the forest produce within the selected area;
 - vi. after 5 years, the Sub-Committee may expand the area, on the basis of a fresh agreement deed, by inclusion of adjoining or nearby areas;
 - vii. to utilize at least 40 percent of the sale proceeds on forest regeneration activities including soil and water conservation.

Provided that for the purpose of usufruct, the usufruct sharing family shall be one unit.

35. That all the assets and resources created by the Sub-Committee in tandem with forest department shall be properly recorded and the sharing of usufructs shall be legally binding on both parties as per the agreement executed between them in the beginning itself. Forest department shall also aim at creating alternative sources of income (in form of fire protection works/forest plantations/nursery raising/soil and water conservation/any revenue from harvesting of planted commercial forests and other resources).

Funds and Maintenance of Accounts


36. Funds shall be generated by the Sub-Committee through contribution by members and sale of usufructs under these regulations. All funds, including those received from



the Government, Gram Panchayats and non-government sources shall be utilized through the micro-planning process.

37. The sum received by the Sub-Committee shall be deposited in the name of the concerned Sub-Committee in a nationalized bank or scheduled bank or co-operative bank or post office and the account shall be operated under the signatures of the President and Treasurer of the Sub-Committee.
38. The Treasurer shall maintain the account of Revenue and Expenditure of the Sub-Committee in a proper Account/Cash Book. The account so maintained shall be placed before the Executive Committee as well as the general body. The funds from all sources shall be utilised only on activities enlisted in the micro plan. The withdrawal of funds from the Bank account shall be affected through signing cheques / electronic transfers/ bank drafts only.
39. The Sub-Committee shall elect an Audit & accounts Committee comprising of 3 members. This committee shall carry out the inspection of the works done and the accounts maintained by the Executive Committee and if it comes across any discrepancy/irregularity, the same shall be intimated to the General Body.
40. The Sub-Committee shall seek the advice of certain experts on important matters. No fee shall be payable for such service; however the Sub-Committee can pay honorarium and travelling expenses can be disbursed to such experts.
41. Treasurer shall be entitled to keep an amount of Rupees 1000/- only, for expenditure in case of an emergent situation. In case of any additional income he/ she shall get the amount deposited in the bank, within 3 days of its receipt.
42. The Treasurer shall be entitled to spend an amount of Rupees 1000/- only in case of an emergency, with the prior permission of the President of the Executive Committee.
43. The accounts of the Sub-Committee shall be audited by a Gov't-recognized Auditor on an annual basis, and shall be shared with forest department.

PRESIDENT



अनुबंध XIII
माइक्रो प्लानिंग प्रक्रिया के दौरान की तस्वीरें



अनुबंध XIV
वित्तपोषण और मंजूरी के लिए सूक्ष्म योजना मूल्यांकन मानदंड
डीएमयू: चिकन एफटीयू: कस लेंजीपी: ताबो बीएमसी उप समिति: लारी

	मूल्यांकन के मानदंड	उपलब्धि	अनुमोदन के लिए आवेदन करते समय स्थिति
प्रक्रिया संबंधी			
1	जीपी स्तर और वार्ड स्तर पर जागरूकता की गई	16/04/2021	हो गया
2	परियोजना के साथ काम करने के लिए जीपी की सहमति/वार्ड की सहमति प्राप्त की गई	20/04/2021	हो गया
3	बीएमसी उप समिति का गठन/कार्यकारी समिति का गठन	03/06/2022	हो गया
4	बीएमसी उप समिति पंजीकृत	03/06/2022	हो गया
5	सूक्ष्म योजना और कार्यान्वयन के लिए डीएमयू और बीएमसी उप समिति के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए	24/07/2023	हो गया
6	उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझाने के लिए ईसी की पहली बैठक आयोजित की गई	03/06/2022	हो गया
7	बीएमसी उप समिति का खाता खोला गया		हो गया
8	सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व करने वाले परिवारों का प्रतिशत (ऐप)	100%	हो गया
9	सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया में शामिल महिला प्रतिभागियों का प्रतिशत (ऐप)	95%	हो गया
10	एकत्रित जानकारी को आम सभा में क्रॉसचेक और अद्यतन किया गया	और है	हो गया
11	सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया में महिलाएं, गरीब, युवा और अन्य समुदाय शामिल थे	और है	हो गया
12	बीएमसी उप समिति सूचना विश्लेषण और प्रमुख उभरती गतिविधियों को अंतिम रूप देने में शामिल है	और है	हो गया

13	माइक्रो प्लान (एफईएमपी, सीडी और एलआईपी) को आम सभा में बीएमसी उप समिति द्वारा अनुमोदित किया गया और कार्यकारी समिति द्वारा पुष्टि की गई		हो गया
14	सामाजिक और तकनीकी कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एमपी (एफईएमपी, सीडी और एलआईपी) के लिए निर्धारित प्रारूप	और है	हो गया
15	एमपी में उल्लिखित एफईएमपी, सीडी एवं एलआईपी और अभिसरण की कुल राशि	18,20,733	हो गया
16	एमपी (एफईएमपी, सीडी और एलआईपी) को पूरा करने में लगे दिन	60	
17	एफटीयू द्वारा डीएमयू को माइक्रो प्लान प्रस्तुत किया गया		
18	डीएमयू के प्रमुख द्वारा माइक्रो प्लान को मंजूरी दी गई	5/12/23	हो गया
आउटपुट संबंधी			
19	कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची संलग्न है	हाँ	
20	बीएमसी उप समिति का योगदान है	प्रगति पर है	
21	क्या एफईएमपी और सीडी एवं एलआईपी गतिविधियाँ परियोजना के उद्देश्यों के अनुरूप हैं	हाँ	
22	सूक्ष्म नियोजन टीम द्वारा प्रारंभिक तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक व्यवहार्यता के लिए आजीविका गतिविधियों की जाँच की गई	हाँ	
23	अभिसरण गतिविधियाँ शामिल हैं	हाँ	
24	बीएमसी उप समिति प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहलू शामिल है	हाँ	
25	डीएमयू द्वारा एफईएमपी, सीडी और एलआईपी की लागत की जाँच की गई	हाँ	
26	सूक्ष्म योजना में प्रतिकूल रूप से प्रभावित परिवार/समूह, यदि कोई हो, शामिल है	हाँ	
27	पीआरए उपकरण, कल्याण विश्लेषण, बीएमसी उप समिति संकल्प, एफईएमपी के मानचित्र और अन्य दस्तावेज संलग्न हैं	हाँ	
28	माइक्रो प्लान में उल्लिखित द्वितीयक जानकारी के स्रोत	हाँ	

एफएमयू द्वारा मूल्यांकन किया गया

डीएमयू द्वारा अनुशंसित

पीएम ने मंजूरी दे दी

अनुबंध XV

बीएमसी उप समिति का कुल बजट एक नजर में

एस.ए न.	गतिविधि	इकाई लागत	2023-24		2024-25		2025-26		2026-27		2027-28		कुल	
			फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत	फ़ि	अंत
ए	अभिसरण गतिविधियों का प्रस्तावित भौतिक और वित्तीय कवरेज कुल (वृक्षारोपण)	68,600/हे			1.42हे	97,412							1.42हे	97,412
बी	कुल (रखरखाव)	10,000/हे क्टेयर (1 अनुसूचित जनजाति द) 6,700/हे क्टेयर (2 ^{या} द) 5100/हे क्टेयर (3 ^{तृतीय} द)					1.42 हे	14,200	1.42 हा	9,514	1.42 हे	7,242	1.42हे	30,956
सी 1	कुल एसएमसी ट्रेनिंग	15,750			1.42हे	22,365							1.42हे	22,365

सी2	कूल (एस एंड डब्ल्यूसी)	1,00,000			2	2,00,000						2	2,00,000
डी	कूल (सामुदायिक विकास)		1	5,00,000								1	5,00,000
ई 1	कूल सतोयामा (सिंचाई नहर/200 मीटर का निर्माण एवं हेड मरम्मत)	750/मी					200 मी	1,50,000				200 मी	1,50,000
ई2	कूल सतोयामा पुराने टैंक/15 क्यूब.मी. का पुनर्निर्माण	50,000 एल/एस					1	50,000				1	50,000
ई3	कूल सतोयामा सार्वजनिक कड़ेदान (सूखा एवं गीला)/नहीं।	15,000					5	75,000				5	75,000
ई 4	कूल सतोयामा पेशों के लिए मूंगा	15000			7	1,05,000	7	1,05,000				14	2,10,000
E5	कूल सतोयामा सौर स्नान	15000	5	75,000								5	75,000
ई6	कूल सतोयामा जंगली कृतों की नसबंदी	100000					एल/एस	2,00,000				एल/एस	2,00,000
ई7	कूल सतोयामा कुंता पकड़ने वालों को प्रोत्साहन	10000					10	1,00,000				10	1,00,000

ई8	कुल सतोयामा वैन्यजीवों से फसल क्षति सुरक्षा पर उन्मुखीकरण कार्यशाला	10,000			1	10,000							1	10,000
एफ	कुल (एलआईपी)	1,00,000			1	1,00,000							1	1,00,000
	कुल(ए+बी+सी+डी+ई+एफ)			5,75, 000		5,34,777		6,94,20 0		9,514		7,242		18,20,733